SHRI SANATAN BISI (Orissa): Sir, I have a submission to make about the time allotted to individual Members for speaking on Private Members' Bills.

My submission is that so far as the mover is concerned, let him or her take time. The Minister concerned may also take time accordingly. So far as the rest of the Members are concerned, the time should be divided among the speakers because the time is never allotted to parties but it is allotted to Members. So, let us divide the time among those who speak, as a result of which all can get a chance to participate in it.

Am I clear, Madam?

MISS SAROJ KHAPARDE (Maharashtra): Yes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you. I have got before me a chart which spells out the time-limit for each party. We will try to abide by it.

SHRI SANATAN BISI: No, it is not a question of party. So far as the Private Members' Bills or Resolutions are concerned, the time is allotted to individual Members. There is no question of party.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Even then, the time allotted to each Member is on the basis of the party. I have already got the names. I shall try to stick to the schedule with your co-operation.

SHRI SANATAN BISI: My submission is: let us divide the time because the time is not enough. It is limit.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): That is a matter where a procedure is to be laid down. I cannot do it. Have a talk with the hon. Chairman.

SHRI SANATAN BISI: So far as this is concerned, there is no procedure, and there is no rule book for this purpose. It is our convenience.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you.

The Prevention of Barbarous and Beastly Cruelty against Women Bill, 1995 — Contd.

कुमारी सरोज खापर्डे (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस विधेयक के लिए सदन के सभी सदस्यों का समर्थन चाहूंगी क्योंकि इस विधेयक के माध्यम से मैंने महिलाओं से संबंधित उन बुनियादी मुद्दों को उठाने की कोशिश की है जिसका संबंध हमारे समाज, हमारी इंसानियत और हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। महोदय, मुझे यह जानकर दुख होता है कि जिस आज़ादी को हासिल करने के लिए महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ी थीं, वही आज़ादी आज सबको बराबरी का दर्जा दिलाने में हमें अक्षम दिखाई दे रही है। देश आज़ाद हुआ, नया संविधान बना, नये नियम और कानून बने। स्त्री और पुरूष की बराबरी की बातें हुईं लेकिन बराबरी की बात केवल विधान तक ही सीमित रह गयी। उसके इम्प्लीमेंटेशन में काफी कमी रह गयी है, बराबरी की बात तो कहना बहुत दूर रहा, आज हम समाज में क्या देखते हैं? आज हम समाज में यह देखते हैं कि बहुत सी महिलाओं के लिए जिंदगी भी एक बोझ सी बन गयी है। औरतों पर हो रहे अत्याचारों की न सिर्फ संख्या बढ़ रही है बल्कि उन अत्याचारों की किस्में भी बदल रही हैं, तौर तरीके भी बदल रहे हैं. पत्नी को मारकर साक्ष्य मिटाने के लिए उसे तंदूर तक में झोंका जाता है। उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण का लाभ महिला तक नहीं पहुंच रहा है लेकिन उसके द्वारा नये किस्म के, नये तरीके के—यानी उसका जिस्मानी शोषण हो रहा है। समाज में उसका शारीरिक शोषण हो रहा है। महिलाओं के कार्यस्थल चाहे वह कारखानें हों या व्यावसायिक स्थल हों अक्सर साम्थ्यर्वान पुरुष वर्ग उनका शोषण कर रहा है। महिलाओं का जो शोषण हो रहा है उसका महिलाओं की उम्र से कोई संबंध दिखाई नहीं दे रहा है, कोई उसका ताल्लुक हमें नजर नहीं आ रहा है। महोदय, आए दिन समाचार पत्रों में छोटी-छोटी बच्चियों से ज्यादतियों की घटनाएं पढ़ने में आती हैं। दिल दहला देने वाली यातनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। यहां तक कि जन्म से पहले ही भ्रूण परीक्षण कर लड़की को मारने का भयानक काम तक किया जा रहा है या फिर उसके जन्म के तुरन्त बाद

ही नवजात कन्या शिशु को जहर देकर मारा जाता है। ऐसी भी कई घटनाएं प्रकाशित हुई हैं।

महोदय, मैं उन राज्यों के नाम यहां लेना नहीं चाहती हूं जहां पर ऐसा हुआ है या जहां ऐसा होता रहा है क्योंकि इस निजी विधेयक को सदन में लाने का मेरा उद्देश्य एक गम्भीर समस्या का राजनीतिकरण करना नहीं है। परन्तु एक ऐसी बहस को शुरू करना है जिससे महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचारों का कारगर तरीके से निवारण हो सके। आज के पुरुष प्रधान समाज में इसको कोई नहीं नकार सकता है कि नारी मानव समाज की जननी है या जन्मदायिनी है। वह माता होने के साथ-साथ एक पत्नी, बहन, भाभी, मौसी और चाची जैसे रिश्तों को भी समाज में सुशोभित करती है। वह समाज का एक अभिन्न अंग है और परिवार के संचालन में उसकी प्रमुख भूमिका होती है। स्त्री मातृत्व, ममता और प्रेम की एक जीती-जागती मिसाल है, उसके मातृत्व के आंचल में या उसके मातृत्व के नीचे हम, आप सभी का बचपन बीतता है और युवावस्था में पदार्पण करते हैं। यह उस नारी की कैसी विडम्बना है कि वही नारी समाज में या समाज को फूटी आंख नहीं सुहाती है। क्यों नहीं थमते हैं ये अनाचार? इसका जबाव हम यहां बैठे हुए सभी सदस्यों को ढूंढना होगा। इसके ऊपर हम सभी को विचार करना होगा। सामाजिक उपेक्षा तो नारी को पीढ़ी दर पीढ़ी मिलती आ रही है और इस उपेक्षा को समाप्त करने में या इस उपेक्षा को समाप्त होने में अभी मुझे लगता है कि सदियां और बीतेंगी, परन्तु नारी समाज में उपेक्षा तक ही सीमित नहीं है। आज के समाज ने तो उसे घर की चारदीवारी से कोठे तक पहुंचा दिया है। उसे उपभोग की एक वस्तु बना दिया है। उसे भोगने के लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़े तो अनेक लोग उसमें भी नहीं हिचकिचाते हैं क्योंकि उनके मन में न तो कानून का डर होता और न ही समाज का डर होता है और न ही किसी अन्य प्रकार का डर होता है।

मान्यवर, बात केवल यहां तक सीमित नहीं रहती है। ऐसे नर-पिशाच अपनी वासना की तृप्ति के पश्चात् स्त्री को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं ताकि वह उनकी हैवानियत की पोल न खोल दे। आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि लोग बच्चियों तक को अपनी हवस का शिकार बनाने से बाज नहीं आते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर छपी थी। मुझे विश्वास है कि सदन में उपस्थित माननीय सदस्य चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो उस खबर को, उस न्यूज को पढ़ने के बाद सभी का मन दुखी हुआ होगा कि समाज में हम लोग क्या होता देख रहे हैं। कल-परसों जो खबर अखबार में छपी, वह यह थी कि एक 90 साल की वृद्धा के साथ बलात्कार की घटना भी छूट नहीं सकी। ये सारी चीजें देखने के बाद क्या कहें और कहां तक कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये जो घटनाएं हम अखबारों में पढ़ते हैं ये सारी दिल दहला देने वाली होती हैं।

महोदय, 1921 में एक अनुमान के अनुसार हजार पुरुषों की तुलना में देशभर में 975 महिलाएं थीं और उसी अनुपात से 1951 में 1937 हो गईं। मेरा तो अपना कहना है कि जिन बच्चियों ने अभी दुनिया भी नहीं देखी है, जो छोटी-छोटी बच्चियां हैं उनके साथ जोर-जबर्दस्ती जैसे जघन्य अपराध क्यों किए जा रहे हैं? क्या यह समाज की रुग्ण मानसिकता का प्रतिबिम्ब नहीं है, यह कैसा वहशीपन है? यह कैसा पागलपन है, यह किस बला का नशा है? इस अवसर पर मैं किसी शायर के शब्दों को याद करना चाहूंगी। शायर ने कहा था:

गमे उमरे मुक्तसर से अभी बेखबर हैं कलियां।
न चमन में फैंक देना किसी फूल को मसलकर।

परन्तु यहां तो फूलों को मसल देने की बात चलती है। आज वहशीपन की कोई सीमा, कोई लिमिट नहीं रही है। आपको याद होगा प्राचीन काल में जब देश में सामंती व्यवस्था थी तो सर्वप्रथम नारियों को कब्जे में किया जाता था। नारियों के बचने के लिए उस जमाने में जोहर प्रथा भी प्रचलित थी। परन्तु आज सामंती व्यवस्था समाप्त हो चुकी है फिर भी सामंती सोच एवं नारी के शोषण में कमी नहीं आई है। आज भी अगर किसी समुदाय को दूसरे समुदाय से बदला लेना हो तो उस समुदाय की स्त्रियों को निशाना बनाया जाता है और उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाता है। कुछ दिन पूर्व ही मैंने देखा है शायद आपने भी देखा होगा... दूरदर्शन के आखों देखा कार्यक्रम में मेरठ के एक गांव में एक लड़की के साथ हुए सामुदायिक या सामूहिक बलात्कार का दिल हिला देने वाला समाचार दिखाया गया था। दहेज के लिए नारियों को जिंदा जलाना समाज में आज भी जारी है। ऐसी भयानक घटनायें समाचारों में या समाचार-पत्रों में प्रकाशित होकर रह जाती हैं। परन्तु सबसे दुखद पहलू यह है कि हमारी रक्षक, पुलिस का जो रवैया है, वह रवैया स्त्रियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण नहीं है, सहानुभूति का नहीं है। धन के लालच में वे वहशियों का साथ देने में संकोच नहीं करते। हत्या का केस

आत्म-हत्या में परिवर्तन करना उनके बायें हाथ का खेल है। यह आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पूर्व एक महिला न्यायाधीश पर बलात्कारी का साथ देने का आरोप लगा था। जब पीड़ित महिला पुलिस के पास रिपोर्ट लिखाने जाती है तो उसे संरक्षण देने के बजाए हमारे कानून के रखवाले उस स्त्री को वेश्या बताकर गिरफ्तार करने से भी नहीं चूके। इतना ही नहीं महोदय, अनेकों मामलों में तो बस्तियों में जाकर बलात्कार करने से भी लोग नहीं चूकते हैं। ऐसे में जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो क्या हालत हो सकती है इसका हम अंदाजा ही लगा सकते हैं।

महोदय, इंडियन पीनल कोड में बलात्कार एवं कत्ल के लिए सजा का प्रावधान तो है लेकिन यह जो प्रावधान है यह प्रावधान डिटरेंट नहीं है। इसलिए इन प्रावधानों से कोई डरता नहीं है। फिर हमारा जो कोड आफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, वह इतना जटिल है कि अपराधी को जल्दी से जल्दी और सही सजा भी नहीं मिल पाती है और देर होने के कारण गवाहों को डरा-धमकाकर या उन्हें लालच देकर उनको तोड़ लिया जाता है और कानून व्यवस्था का धत्ता बता दिया जाता है। इसलिए इंडियन पीनल कोड का प्रावधान महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अन्य अपराधों के लिए पर्याप्त नहीं है। मान्यवर, इस पृष्ठभूमि में मैंने अपना विधेयक प्रस्तुत किया है ताकि महिलाओं के प्रति किए जाने वाले जघन्य अपराधों के लिए डिटरेंट सजा यानी मृत्यु दंड का प्रावधान किया जा सके ताकि महिलाओं के प्रति होने वाले भयानक अपराधों को समाप्त किया जा सके।

महोदय, इसके साथ ही सामाजिक बदलाव की भी अत्यन्त आवश्यकता है। खासकर पुलिस के नजरिए में हमें परिवर्तन लाना होगा और इसके लिए सरकार को आवश्यक कानूनी और अन्य प्रावधान करने होंगे और अदालतों में ऐसे केसेज का निपटारा शीघ्र से शीघ्र करना होगा ताकि अपराधियों को शीघ्र एवं उचित सजा मिल सके अन्यथा मुझे भय है कि हमारा समाज महिलाओं के रहने लायक नहीं रहेगा।

मान्यवर, महिलाओं के प्रति होने वाले इन भयानक हादसों के कारणों का यदि हम विश्लेषण करें तो पाते हैं इनमें सबसे ऊपर जो चीज आती है वह है हवस रूपी पाशविकता, जिसका शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। लेकिन आज हमारा समाज ही इस पाशविकता को भड़काने का कार्य कर रहा है क्योंकि आज जो मनोरंजन के साधन हैं जैसे सिनेमा, टी०वी० या पत्रिकाएं, इनमें अश्लीलता इस हद तक प्रदर्शित की जाती है कि उसका मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता है और जिसका शिकार महिलाओं को होना पड़ता है। मेरा अपना मानना है कि हमारे देश में बढ़ते हुए बलात्कारों का मुख्य कारण है नैतिक मूल्यों में गिरावट और उसके साथ देशी-विदेशी चेनलों में प्रचलित तथा पत्रिकाओं में प्रदर्शित अश्लीलता भी है। दूसरा मुख्य कारण जहां तक मैं समझती हूं वह है लालच जिसके चलते महिलाओं को जिंदा जलाया जाना आज इस समाज में आम बात हो गई है। जहां तक मैं समझती हूं इसका तीसरा कारण यह भी है कि अब समाज में भय नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है जिसकी परिणति महिलाओं के ऊपर भयानक हादसों में होती है क्योंकि जब महिलाओं से छेड़-छाड़ या ज़बरदस्ती की जाती है तो इस भय से कहीं उनका भांडा न फूट जाए, इसीलिए कई बार हम यह देखते हैं कि उन महिलाओं को ही समाप्त करने का कारण बन जाता है। और भी कारण हो सकते हैं। परन्तु इन हादसों को कम करने के लिए, इस प्रकार की घटनाओं को कम करने के लिए नैतिक मूल्यों की शिक्षा के साथ साथ समाज में बढ़ रही नग्नता और अश्लीलता पर अंकुश लागना बहुत जरूरी है। मुझे खुशी है महिलाओं के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महीनों पहले कुछ ऐसे दिशा निर्देश दिये हैं जिनका अनुपालन करना सभी कार्यस्थलों में अनिवार्य समझा जाएगा और इन दिशा निर्देशों को सभी कार्यालयों में प्रचारित और प्रसारित भी किया गया है। मुझे विश्वास है कि इन दिशा निर्देशों के पालन से अब जितने पैमाने पर उनका शोषण हो रहा है, उससे कुछ कम होगा परन्तु व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, चुस्त, दुरुस्त बनाने की दिशा में मेरा यह विधेयक है। सरकारी क्षेत्र में तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों को लागू किया जा सकता है परन्तु जो असंगठित क्षेत्र हैं, अनआर्गेनाइज्ड क्षेत्र हैं जिनको हम निजी क्षेत्र कहते हैं, घरों में काम करने वाली महिलाओं को न तो इन दिशा निर्देशों का पूरा पता है और न ही दिशा निर्देशों को लागू कर सकते हैं। उनको लागू कराने का कोई प्रभावी तंत्र सरकार के पास नहीं है। इसलिए मैं चाहूंगी कि सदन इस विधेयक को पारित कर के जिसमें महिलाओं से संबंधित अपराधों का फैसला करने के लिए विशेष न्यायालय बनाए जाने का प्रावधान है, सही दिशा में एक उचित कदम उठाएगा।

अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगी, किसी ने कहा है—

दिल नाउम्मीद तो नहीं, नाकाम ही तो है,
लम्बी ही गम की शाम, मगर शाम ही तो है।

हर शाम की एक सहर भी होती है और इस उम्मीद के साथ मैं यह विधेयक इस सदन में विचारार्थ प्रस्तुत करती हूं।

आपने मुझे मौका दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI ADHIK SHIRODKAR): Thank you, Miss Khaparde. You have touched a very grave issue. I compliment you for that.

SHRI SANATAN BISI (Orissa): Mr. Chairman, Sir, I support the Bill and I fully associate myself with the issues that have been raised by Madam Khaparde. I have gone through the Bill. So far as the definition clause is concerned, at page 2, clause (b) states:

"(b) barbarous and beastly cruelty includes—

(i) killing a woman by battering, strangulating or by any other means after committing rape on her;

(ii) after killing a woman, disposing off her body by chopping her body into pieces or by burning her body in a tandoor or other places or by burning her body by sprinkling petrol, kerosene or such other sprinkling petrol, kerosene or such other inflammable objects or by any other means;

(iii) burning a woman alive leading to her death;

(iv) killing a woman by way of gangrape; and

(v) committing rape on a pregnant woman resulting in her death or miscarriage."

So far as the definition is concerned, I would submit that if we are going to have such a Bill, to my mind, the definition should have been "Crime against women." So far as the definition of "crime" is concerned, I want to define it in some other words. Madam, you have given five sub-clauses in the definition clause, but it can be defined in one clause, *viz.* "Crime against women". So far as the definition of "crime" is concerned, as per the Law Dictionary, it is defined in the following words: "A crime, as opposed to a civil wrong, is an act which is forbidden or the omission to perform an act which is commanded by the common law, by statute or by regulations made by a subordinate Authority, the remedy for which is the punishment of the offender at the instance of the State."

If there is anything left, with this definition of "crime", that can also be brought within this. This is my first submission.

The second submission is this. Apart from this, there are other clauses regarding the anticipatory bail, bar on granting anticipatory bail. There are so many clauses, but nothing is mentioned about the rehabilitation of the victim. The hon. Member has raised some other aspects concerning the society. I fully associate myself with them, but at the same time, we must create awareness and we must strengthen the mechanism to deliver justice and involve the educationists and the media. There should be a national policy in this regard.

Now I come to the national plan of action. I would like to submit that the acts of hostility, violence and crime against women amount to continued violation of their human rights. The growing trends in gender based crimes despite existence of laws and policy pronouncements is a matter of grave concern. To reverse the trends, an integrated approach is required to be adopted to initiate coordinated action by the Government agencies and voluntary organisations. A national plan of action to deal with various aspects of the problem at different levels, *viz.* awareness generation, sensitization, strengthening of mechanism to deliver justice, rehabilitation of victims etc. should be drawn up incorporating the following measures—the measures are very few in number; so, I am going through them. (1) Long-term sustained awareness generation programme specifically directed towards bringing about a change in the

mindset for removal of gender-bias and creating a positive image of women and girls. (2) Sensitization of the community to condemn all acts of violence against women and not to invoke custom, tradition or religion to avoid their obligations to eliminate such violence. (3) Reform of educational curricula to instill cultural values promoting respect for women and prevent crimes against them along with provision for legal literacy for women at the school and college levels. (4) Involvement of media to project the value of contribution of women to family, community and the nation and elimination of showing of needless violence against women and provocative depiction of women on the screen. (5) Identification of regions, districts and areas prone to higher incidence of crimes against women with attention to contributing factors and take measures to check the growth of crimes. (6) Organisation of local communities and women's groups to work in close collaboration with the police to prevent violence and bring the perpetrators to book; building up of an environment to ensure proper reporting of the cases of crimes against women to the authorities and providing for legal and moral support, counselling and rehabilitation of women victims of violence. Madam has already mentioned about strengthening of the women police cell and the family court. So, my submission is that there should be a national policy. Thank you.

श्री ओंकार सिंह लखावत (राजस्थान): उपसभाध्यक्ष महोदय, कुमारी सरोज खापर्डे जी ने इस समाज में व्याप्त एक बहुत ही गंभीर सामाजिक समस्या अपराध और उससे समाज की जो भूमिका है और जो सरकार की भूमिका है, एक ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सब का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मेरा एक निवेदन करना यह है कि महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिए हमारे समाज की पृष्ठभूमि को समझना आवश्यक है। हमारे यहां सब से बढ़िया तरीके से यदि कहीं पर महिला को या शक्ति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है तो उसमें यहां तक कहा है कि "सर्व रूपमयी देवी, सर्व देवीमय जगत" मतलब इससे बड़ा एक महिला के बारे में, स्त्री के बारे में, देवी के बारे में, समाज का इस देश में जितना श्रेष्ठ सोच रहा है, मैं कह सकता हूं कि विश्व की इस धरती के ऊपर किसी भी देश में, महिला के बारे में इतना श्रेष्ठ और सम्मानजनक सोच नहीं हुआ।

(उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि) पीठासीन हुए)

मैं जिस जगह से आता हूं, श्रीमन् मैं आपका एक घटना की ओर ध्यान आकर्षित कराता हूं। हमारे यहां ब्रह्मा जी का एक मंदिर है। ब्रह्मा जी ने धरती की रचना की, सृष्टि की रचना की, ऐसा लोग कहते हैं। हमारे धर्म-शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि की रचना करने लगे और यज्ञ करने लगे, तो उनकी पत्नी को यह यज्ञ के अंदर नहीं बैठा सके। पंडितों ने कहा कि जल्दी करिए, मुहूर्त निकलता जा रहा है। तो उन्होंने एक दूसरा विवाह कर लिया और हवन यज्ञ में बैठ गए। उनकी पहली पत्नी ने उनको श्रापित किया कि हे ब्रह्मा, तुम मेरे बिना यज्ञ में बैठ गए, तुम्हारे को इस धरती के अलावा कोई पूछेगा नहीं। मैं कहता हूं कि महिला के मुंह से निकली हुई वाणी, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द आज लाखों वर्ष के बाद भी शाश्वत् सत्य नज़र आता है कि उस ब्रह्मा जी को पुष्कर के अलावा, इस धरती के ऊपर कहीं कोई नमस्कार करने वाली जगह नहीं, कहीं दूसरी जगह उनका मंदिर उपलब्ध नहीं। हमें समाज के इस दृष्टिकोण में परिवर्तन करना पड़ेगा, खाली कानून से काम चलने वाला नहीं है।

इसलिए मेरा एक निवेदन करना यह है कि जब हम महिला की, नारी की, जो आकृति हम इस समाज के अंदर प्रस्तुत करते हैं, वह आकृति के कारण आम समाज उसके बारे में क्या सोच रखता है, आम व्यक्ति के मन में महिला की क्या धारणा बनती है, यह एक ऐसा हमको प्रयास करना पड़ेगा। परन्तु यह जो पूंजीवाद की अंतर्निहित विरोधाभास जो है, उसके कारण से इस नारी को इस स्थान पर लाकर, महिला शक्ति को इस स्थान पर लाकर, खड़ा कर दिया। केवल मुनाफा कमाने की मशीन मान करके नारी का उपयोग इस समाज में होने लगा। उपभोक्तावादी सभ्यता ने नारी को एक उपभोक्ता की वस्तु मान करके अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ ली। सस्ते साहित्य ने, हर स्थान पर सत्यकथा और मनोहर कहानियों ने, महिलाओं का अपराध के साथ जुड़ा हुआ चित्रण, इस समाज में प्रस्तुत करना प्रारंभ कर दिया। श्रीमन् मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपराध करने की जो एक समाज की व्यवस्था है उस चरित्र के अंदर परिवर्तन करना आवश्यक लगता है। अभी पिछले दिनों

हैदराबाद की एक खबर छपी कि एक नाबालिग बेटी को तीन अरबी बुड्ढों ने दूसरे देश के अंदर केवल भोग की वस्तु समझकर बेच दिया गया। महोदय, समाज में यह विचार कहां से आ गया? इसलिए खापर्डे जी ने जो बिल पेश किया है, उस के पीछे की भावना की पुष्टि के लिए मैं आप के समक्ष कुछ निवेदन करना चाहता हूं और वह यह कि हमारे यहां आज कुल मिलाकर अपराध की मानसिकता बढ़ रही है। महोदय, जहां तक बलात्कार की घटनाओं का प्रश्न है, वर्ष 1991 के अंदर 9791 बलात्कार की घटनाएं इस देश में हुई, 1992 में 11,112, 1993 में 11242, 1994 में 12,351, 1995 में 12,992, 1996 में 13,331 और 1997 के मध्य तक इन घटनाओं की संख्या 8385 के ऊपर चली गयी। महोदय, मध्यप्रदेश इस मामले में सब से ऊपर है। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि वहां पर जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उन सभी के मामले में और इतना ही नहीं बल्कि महिलाओं के अपहरण की घटनाएं वर्ष 1991 में 12,300 हुई, 1992 में 12,077 हुई, 1993 में 11,837, 1994 में ये बढ़कर 12,998 तक चली गई, 1995 में यह संख्या फिर बढ़ी और 13,543 हो गयी, 1996 में फिर बढ़ी और 13631 हो गयी और 1997 के मध्य तक 8,828 के आसपास आ गयी और इस वर्ष के पूरे आंकड़े जब आएंगे तो यह संख्या हम को और आगे पहुंची मिलेगी।

महोदय, दहेज के कारण जो हत्याएं हो रही हैं और विशेष रूप से जिन की ओर संपूर्ण समाज का ध्यान गया है, उन में 1991 में 5157 हत्याएं हुई, 1992 में 4962 हुई, 1993 में 5117 हुई, 1994 में 4935 हुई, 1995 में 5151, 1996 में 5687 और 1997 के मध्य तक 3187 तक इन की संख्या आ पहुंची और जब वर्ष पूरा होगा तो यह संख्या बहुत आगे बढ़ेगी। श्रीमन् मैंने यह आंकड़े इसलिए रखे कि हम अंदाज लगा सकें कि हमारा समाज किस ओर बढ़ रहा है? इस बारे में हमें सोचना पड़ेगा और उस के लिए जो सब से महत्वपूर्ण कारण है, उसके लिए हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये अपराध कर कौन रहा है? महोदय, इस संबंध में एक विश्लेषण आया और उस में दिल्ली के अंदर 1996 की घटनाओं का विश्लेषण हुआ। उस में कहा गया कि 470 टोटल बलात्कार की घटनाएं हुई, उनमें से 88 प्रतिशत जो बलात्कारी थे, वह उन के सगे-संबंधी थे। महोदय, यह सोचने का विषय है। आखिर यह समाज जा कहां रहा है? हमारे समाज की संस्कृति, सोचने का दृष्टिकोण बदल कैसे रहा है? महोदय, इन बलात्कार की घटनाओं में से 89 प्रतिशत बलात्कार घरों के भीतर हुए हैं। तो महिला घर में सुरक्षित नहीं है। हमें इस के कारण ढूंढने पड़ेंगे। महोदय, इस बलात्कारियों में से 8 बलात्कारी तो निकृष्ट कोटि के पिता निकले। इस से बड़े दुर्भाग्य की बात नहीं हो सकती। उन में 273 पड़ौसी थे और पारिवारिक मित्र 20 थे। इन बलात्कार की शिकार महिलाओं में 60 प्रतिशत अबोध किशोरियां थीं। महोदय, यह घटनाक्रम जिस गति से बढ़ रहा है, उस में एक विचार समग्र रूप से यह करना पड़ेगा कि कानूनी प्रावधान तो हो, परंतु उस के साथ सुधार का कार्यक्रम भी हो। हम को महिला और पुरुष, स्त्री और पुरुष के रिश्तों में सहजता उत्पन्न करनी पड़ेगी। अगर सहजता उत्पन्न नहीं की तो खाली कानून बनाने से हम इस से मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए ज्यों-ज्यों समाज और सत्ता की संरचना में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी त्यों-त्यों उन के प्रति अपराध कम होंगे। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उन की आर्थिक भागीदारी जितनी बढ़ेगी, समाज के अंदर अपराध की गति उतनी ही कम होगी। प्रशासनिक प्रबंध और क्रियाकलापों में महिलाओं की भागीदारी जितनी बढ़ाएंगे उतने ही उन के प्रति होने वाले अत्याचार कम होंगे। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो कुल मिलाकर 24 महिलाओं से संबंधित केन्द्रीय कानून बने हैं, उन सब को एक जगह लाना चाहिए और उन में से जो व्यावहारिक कानून हैं, कठोरतम कानून हैं, उन को हमें उपलब्ध कराना चाहिए और उन के उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्थाएं करनी चाहिए।

महोदय, महिलाओं की शिक्षा के प्रसार के संबंध में भी हम को बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा और साथ ही उन को काम भी उपलब्ध कराना होगा। महोदय, आज समाज में हो रहे बहुत से अपराधों के पीछे सब से महत्वपूर्ण कारण बेरोजगारी है। नौजवानों को काम उपलब्ध नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि टोटल प्रतिशत में से 51.56 प्रतिशत पुरुषों को काम उपलब्ध है, परंतु हमारे यहां जहां महिलाओं का टोटल प्रतिशत 22.6 है, उसमें 9.17 प्रतिशत को काम उपलब्ध है जोकि एक बहुत बड़ा गैप है। इसको हमको पूरा करने की दृष्टि से कुछ काम करना पड़ेगा और इस नाते, महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जैसी आपने दंड की व्यवस्था की है कि फांसी की व्यवस्था होनी चाहिए, मेरा एक निवेदन है कि संपूर्ण दृष्टिकोण से हमको विचार करना चाहिए। अगर महिलाओं के अपराध के संबंध में कोई मर्डर करता है तो दफा 302 में वैसे पहले से ही मृत्युदंड का प्रावधान है। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, मृत्युदंड भी हो सकता है। अनेक मामले जब ऑनरेबिल सुप्रीम कोर्ट के सामने गए तो उन्होंने कहा कि

रेयरेस्ट आफ द रेयर केस, उनके अंदर फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। यह एक बात कही। आपने यहां कितने मुद्दे रखे हैं, उनमें दफा 304 (बी) का एक ऐसा मामला है, जिसके अंदर यह कह दिया कि अगर अननेचुरल डैथ है, कहीं भी अपराध नहीं है आवश्यक, कहीं भी आदमी का एक्ट आवश्यक नहीं है, अगर कहीं पर भी अननेचुरल डैथ विदइन सेवेन ईयर हो गई है, चाहे वह बर्निंग से हुई है या वह सुसाइडल है या और किसी प्रकार से है और वह विदइन सेवेन ईयर हुई है तो उसमें भी कठोरतम न्यूनतम दस साल की सजा का प्रावधान है और आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान की व्यवस्था उसमें की गई है। धारा 376 में पिछले दिनों हमारे यहां अमेंडमेंट हुआ, 376 में गैंग रैप के कारण भी प्रावधान हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी अजमेर में पिछले दिनों एक फैसला हुआ ब्लैकमेल कांड का, इसमें सभी अपराधियों को आजीवन कारावास की सजा हुई है। वह भी रेयरेस्ट में से रेयर केस है। सामान्यतया गैंग रैप के अंदर आजीवन कारावास की सजा बहुत कम होती है।

महोदय, मैं एक विनम्र निवेदन यह करना चाहूंगा कि कम से कम इन महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचार के मामलों में स्पेशल कोर्ट बनना चाहिए। स्पेशल कोर्ट में स्पीडी ट्रायल का प्रोसीजर होना चाहिए, समरी ट्रायल का प्रोसीजर होना चाहिए। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। महिलाओं पर अत्याचार, समाज के लिए यह एक बहुत बड़ा कलंक है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमारी महिला के ऊपर, हमारी मातृ-शक्ति के ऊपर कोई अपराध हो जाए और हम देखते रह जाएं तो यह उचित नहीं है। हमारे यहां एक बात कही जाती है, वही बात मैं आखिर में कहना चाहता हूं।

धर जाता, जाता धरम, त्रिया परन्ता ताव।

ए तीनों दिन मरन का, कहां रंक कहां राव।

महोदय, अगर धरती चली जाए, देश की धरती कोई छीन कर ले जाए, कोई हमारे धर्म पर हमला कर दे या कोई हमारी महिला के ऊपर हमला कर दे तो फिर जीने के लिए क्या रहा? फिर तो सब के लिए सब न्यौच्छावर करने के लिए कोई राजा भी हो सकता है, कोई शासक भी हो सकता है, प्रजा भी हो सकती है, आम आदमी भी हो सकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार इन अपराधों को रोकने के लिए कठोरतम दंड की व्यवस्था कर सकती है क्योंकि ऐसे अपराधों को हमारे समाज के लिए, किसी भी सभ्य समाज के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि कठोरतम दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही निश्चित रूप से विशेष न्यायालयों का भी गठन हो, जिसमें कि ऐसे अपराधों से ठीक से निपटा जा सके।

महोदय, सरोज खापर्डे जी ने एक बहुत ही सामयिक विषय को, एक विकृति को समाज के सामने रखने का प्रयास किया है, मैं मानता हूं कि इस विकृति में कुछ सुझाव भी आएंगे, जो निश्चित रूप से उपयोगी होंगे और फिर एक बार कहीं पर हम जीजा माता, कहीं पर पन्ना धाय और फिर लक्ष्मीबाई, आदि इन सबके रूप देख सकेंगे। इस समाज के अंदर फिर उन देवियों के दर्शन हम कर सकेंगे। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि आपके इस बिल के माध्यम से सरकार एक उचित संदेश लेगी और उसमें कुछ कार्यवाही करेगी।

महोदय, इतनी बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने जो मुझे समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity. I welcome the mover of the Bill for bringing up an important social issue for discussion. It is an important social evil that requires immediate remedial measures. First of all, I want to bring to the attention of this august House a quotation from a famous French philosopher of the 19th century, Charles Fourier. He said that the degree of civilisation is judged by social and political positions of women. Here, in the Statement of Objects and Reasons, the mover of the Bill has tried to sum up the history. She says that women have been subjected to various kinds of atrocities since time immemorial. In the past, when civilisation had not developed, woman was treated as an object and she was exploited to the maximum. When a king invaded another kingdom, the first target used to be women.

However, with the progress of civilisation, this vulnerable part of the society has got some respect but still inhuman atrocities continue to be committed on her. I have no dispute that inhuman atrocities are still committed on women. But I have certain reservations about the summing up of the entire past history. The ancient history teaches us that in the

primitive society men and women were, of course, equal. Actually, this inequality emerged in human society when the first division of labour took place on the basis of sex and also when the productive forces reached a higher level to produce surplus products. Then, the society was divided in to classes and this class-society put the womenfolk in an inferior position. This inferior position got accentuated by the passage of time. Actually, the present industrial society, that means the present capitalist society, put women into a much more inferior position.

I would like to attract the attention of this august House to an important passage from the *The Communist Manifesto.* It says:

> "It has" — 'it' means 'capitalism' — drowned "pious zeal, chivalrous enthusiasm and hum-drum sentimentalism in the chill waters of selfish calculation. It has degraded personal dignity to the level of exchange value
>
> and in place of countless dearly bought chartered freedoms, it has set up one solitary unscrupulous freedom, freedom of trade. In a word, it has replaced exploitation veiled in religious, political illusions by exploitation that is open, unashamed, direct and brutal. The bourgeoisie has torn the veil sentiment from the family relationship which has become an affair of money and nothing more".

So, it is nothing more than a commercial product — the family relations in the capitalist society. Again, this particular aspect was discussed by Marx and Engels in one of the most important books, *The Holy Family*, when they were discussing the utopian ideas of the French philosopher, Charles Fourier. In *The Holy Family*, Marx and Engels state:

> "The debasement of the female sex is an essential character trait of civilisation no less than barbarism, with this difference that under civilisation all the vices which barbarism practises in a simple and straight forward way, are now preserved in a complicated, ambiguous and hypocritical semblance".

This is the present situation we experience here. Not only this, the old Indian society also put many indignities and fetters on women. I would like to attract the attention of this august House to a passage from the *Manusmriti,* which means that a woman is under the subjection of her father when she is a child; when married, under that of her husband; after her husband, under that of her sons; and if she has no sons, then to her agonistic relation, because there is no woman whatsoever who is fit to be independent.

Actually, because of all these practices, women are denied property rights; they were purchased and sold. There were child marriages, and they were put into a very, very disadvantageous position by the class society. The Britishers came here to subjugate and exploit India. But, they came as the flag holders of a new civilisation; compared to the old civilisation; of the industrial society. Of course, they made some attempts in India to improve the lot of women. I don't want to go into the detials of their laws. The Hindu Widow Remarriage Act of 1856, the Child Marriage (Restraint) Act of 1929, the Hindu Women Rights to Property Act of 1937, the Sati Abolition Act and such other acts.

After independence, we made certain attempts to find solution to these problems. There are many provisions in the Constitution to take care of the rights of women, to give them protection. I am also not going into all these details about the provisions, the articles of the Indian Constitution. But, some of the important articles are, article 15, sub-clause (1) that injects State from discriminating only on ground of sex, and the sub-clause (3) that enables the State for making special provisions for the advancement of women and article 23 that prohibits trafficking in human beings. There are many provisions in Chapter IV of the Constitution, the

Directive Principles. Article 39(d) states for equal pay for equal work; article 42 that requires just and humane conditions of work and maternity relief to the women; article 51(a) a new amended provision of the Constitution ....(*Interruptions*).... yes, that is one of the duties, as you said correctly. Article 51(a) (e) states, "To promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, regional or sectional diversities, to renounce practices derogatory to the dignity of women". These are the constitutional provisions.

We have also passed during the last 50 years many legislations giving protection and taking care of the problems of the women folk, but still, Sir, there is no substantial change in their status. There is no substantial reduction in the number of atrocities on women. This is increasing. There are increasing number of broken marriages; there are problems of maintenance; there are problems of dowry death; there are issues of cruelty; there are increasing number of rapes and there are increasing incidents of eveteasing. Why are all these evils increasing in our society? I am just concluding, Sir. What are the reasons for this increasing number of crimes against women?

Sir, Our society is facing a severe crisis. Our society is passing through a period of transition. The pre capitalistic society is just fading away and a new capitalistic society has not yet come into existence. So, the old values are changing and new values have not come into existence. In this transitional period there is also an attempt to revive the old values by a section of the people. That also is creating problems and intensifying the tension. We cannot go back to the old past. We also know that the old past did not do justice to women folk in India. I referred to certain verses from Manu Smriti. These are the reasons, these are the situations, these are the circumstances that cause an increasing number of crimes against women in our country. Sir, the Mover of the Bill is trying to introduce a new legislation. I agree. Of course, more and more legislation is required in this country to stop atrocities on women and also to take care of the interests of women. But, legislation alone is not sufficient to take care of the interests of women. With regard to this particular aspect which has been brought to our notice by the Mover of the Bill, I would like to say that is does not speak of another important aspect, that is, a civil remedy. Of course, if we look at such crimes we find that there is no remedy existing in India because we are following an Anglo-Saxon approach of law. So, that does not provide for a tortuous remedy and a compensational remedy to the victims of rape cases. So, we should take care of this aspect also. The victims should be provided a sufficient compensation. There is a lacuna in our intensive law with regard to this particular aspect. But, as I just mentioned, legislation alone is not a cure to this evil. Along with legislation, of course, some social movements are required, there should be empowerment of women. This is an important issue. Now, of course, we are discussing it. Definitely, we should come to a conclusion. We should take steps for the empowerment of women because for implementation of law this is an important aspect. I once again congratulate the Mover of this Bill for bringing to our notice an important social evil that requires immediate remedial measures.

डा० (श्रीमती) उर्मिलाबेन चिमनभाई पटेल (गुजरात) : सर, मैं कुमारी सरोज खापर्डे द्वारा लाए गए इस बिल का अनुमोदन करते हुए कहना चाहती हूं कि हम एक-दो साल में 21वीं सदी की ओर जा रहे हैं और साईस एंड टेक्नोलोजी का विकास विश्व में तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमारी कमनसीबी यह है कि देश की जो 50 परसेंट महिला पौपुलेशन है उसके विकास के बारे में कोई जागरूक नहीं है, न सरकार, न कोई समाज, न पुरुष, न स्त्री, न पढ़े-लिखे लोग। न पढ़े-लिखे लोग, न जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, वे इसके बारे में सोचते हैं। इसके बारे में सोचने के लिए किसी के पास अवकाश नहीं है

या अवकाश है तो उसकी गंभीरता नहीं है, यह हमारी कमनसीबी है। अभी एक सदस्य ने वहां से बताया इसलिए मैं रिपीट नहीं करना चाहती हूं लेकिन हर साल अत्याचारों के किस्से बढ़ते रहते है। स्त्रियों के साथ जो अन्याय होता है, उनका शोषण होता है, बलात्कार के केस होते हैं, आत्महत्या के केस होते हैं, अनेक प्रकार की एट्रोसिटीज़ हैं इस समाज में, प्रत्यक्ष या परोक्ष, इस प्रकार के केस बढ़ते ही रहते हैं और उपसभाध्यक्ष महोदय, आप तो जानते ही हैं कि जिस केस की एफ०आई०आर० दर्ज की जाती है, जो पुलिस के सामने आते हैं, न्याय-तंत्र के सामने आते हैं, ऐसे तो करीब दो-तीन परसेंट ही केस होते हैं। बाकी तो अननोटिस्ड चले जाते हैं, या तो महिला खुद नहीं बोल सकती है या उसका परिवार कंप्लेंट नहीं कर सकता है। यह हमारे समाज की लगाई हुई मर्यादाओं की कमनसीबी है। लड़की का मुंह बंद कर दिया जाता है, घर की बात बाहर मत बोलो। जो कुलवान बहू होती है वह बाहर नहीं बोल सकती है, यह हमारी कमनसीबी है और फिर आत्महत्या करने को उसे प्रेरित किया जाता है।

महोदय, आप रोज़ न्यूज़पेपर खोलें तो अत्याचार के किस्से आपको पढ़ने को मिल जाएंगे, कहीं किसी महिला ने अपने आप को जला दिया, कहीं उसने पॉयज़न ले लिया, कहीं किसी ने अपना लाइफ-स्पैन खत्म कर दिया, ऐसे किस्से हमें हर रोज़ पढ़ने को मिलते हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। इस समाज से हमने सेंसिटिवनेस ही गंवा दी है, यह हमारी कमनसीबी है। छोटी-छोटी जवान बच्चियों के ऊपर भी बलात्कार होता है। मैंने अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि एक 90 साल की महिला के साथ बलात्कार किया गया। दो-चार दिन पहले मैंने पढ़ा कि कहीं सात साल और कहीं तीन साल की बच्चियों के साथ रेप किया गया, यह कैसा व्यवहार है? यह तो वहशीपन है। ऐसी आसुरी वृत्तियां हमारे समाज में पनप रही हैं और इसके विरोध में किसी की आवाज़ उठाने की मंशा नहीं होती है, यह बड़ी कमनसीबी की बात है। कोई बोलता नहीं है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। अगर एफ०आई०आर० लिखाने जाओ तो पुलिस कहती है कि चले जाओ, यहां क्या है? कोई सुनने वाला नहीं है तंत्र में और उपसभाध्यक्ष महोदय, आप तो यह भी जानते हैं कि कभी-कभी तो ऐसे भी किस्से सुनने में आते हैं कि जो हमारी रक्षक मानी जाती है पुलिस, वही भक्षक बन बैठती है। बलात्कार के केस पुलिस कस्टडी में भी होते हैं और जेल में भी होते हैं। जो महिलाएं जेल में सज़ा काट रही होती हैं, उनको कैदी भी एक्सप्लाईट करते है, उनको पुलिस भी एक्सप्लाईट करती है, वार्डन भी एक्सप्लाईट करते हैं, अधिकारी भी एक्सप्लाईट करते हैं। सब चलता ही रहता है और जेल के दरवाज़े के बाहर कोई बात निकल भी नहीं सकती है, यह हमारी कमनसीबी है। महिलाओं के साथ जो अन्याय, अत्याचार होता है, इसमें कहीं से कोई रिएक्शन नहीं मिलता है। यह व्यक्तिगत केस नहीं है, कभी-कभी तो गैंग रेप भी होते हैं। दो-दो, चार-चार पांच-पांच, दस-दस व्यक्ति मिलकर अत्याचार करें और महिला की मृत्यु हो जाए, तो उसकी जांच-पड़ताल भी नहीं होती है, यह भी एक कमनसीबी की बात है।

महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि आज से नहीं कई सालों से स्त्री को पुरुष की माली चीज़ समझा जाता था। एक इनडिविजुअल का स्टेट्स उनको हमारे समाज में नहीं दिया गया, वह एक अधिकार जमाने की चीज़ समझी जाती है।

जैसे हम अपने गहनों पर अधिकार जमाए बैठते हैं, हमारी जमीन पर अधिकार जमाए बैठते हैं, हमारे मकान पर अधिकार जमाए बैठते हैं, उसी तरह पुरूष वर्ग स्त्री के ऊपर अधिकार जमाए बैठता है। वह मानता है कि यह हमारे उपभोग की चीज है, हमारे मनोरंजन की चीज है। इसके पीछे हमारी बदनसीबी ही है। हम आज 21वीं सदी में जा रहे हैं। हम विकास की बातें करते रहते हैं, कल्चरल डैवलपमेंट की बातें करते हैं, हमारी भारतीय संस्कृति की उच्चता की इतनी बड़ी-बड़ी बातें दुनिया भर में कहते रहते हैं लेकिन समाज में आज भी कोई सुधार नहीं हुआ है। जो मैंटेलिटी है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा है। ज्यादा सिविलाइड होकर सिविलाइड ऐट्रोसिटीज महिलाओं के साथ हो रही हैं। बाकी व्यवहार तो जो मिस्र के जमाने में होता था, वही हो रहा है। मिस्र के पिरामिडों में जो राजाओं के पिरामिड बनाए जाते थे, उसमें उनकी पत्नियों को भी गाढ़ दिया जाता था ताकि स्वर्ग में भी उनको उनका साथ, सहकार और मनोरंजन मिलता रहे और उनको महिला पर प्रभुत्व करने का मौका मिलता रहे। उस आइडियॉलिजी और आज में कोई फर्क नहीं आया है। हमारे समाज में भी सती प्रथा का रिवाज़ था। हमारे यहां विधवा दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। पुरुष को यह चिंता रहती थी कि मेरे मर जाने के बाद मेरी स्त्री कहीं ऐशो-आराम न करे। हमारे यहां उसको जिन्दा जलाने की प्रेरणा दी जाती थी। अगर वह ऐसा करने से मना करती थी तो उसका विरोध किया जाता था। उस पर इतना दबाव डाला जाता था और सती प्रथा को इतना अच्छा बताया जाता था मानो स्त्री सती होकर देवी हो गयी। ऐसा करके उसको जलाने की प्रथा हमारे

समाज में डाली जाती थी। मिस्र हो या भारत हो, पुराना हो या मिडिवियल युग हो या आज का मार्डन युग—सुधरा हुआ समाज हो, हमारे समाज में कहीं कोई फर्क नहीं आया है। एक जमाने में महिला को मेहमान की मेहमाननवाजी के समय जैसे उसका मान-सम्मान किया जाता था उसको कोई अच्छा ड्रिंक्स दिया जाता था, अच्छा खाना दिया जाता था—उसी तरह महिला को उसे भेंट किया जाता था—मेहमान के मनोरंजन के लिए। सर, आज क्या हो रहा है? बड़े-बड़े ऑफिसिस में महिलाएं काम करती हैं—कोई टाइपिस्ट होती है, कोई पी०ए० होती है, कोई और तरीके का काम करती है, कोई क्लर्क होती है, कोई पी०आर०ओ० का काम कर रही है किन्तु उनका पहला काम अपने बॉस को राजी रखना होता है। क्या फर्क है पुराने जमाने में मेहमान को महिला पेश करने में और आज बॉस को राजी करने में? केवल स्वरूप बदल गया है, बेसिक आइडियॉलिजी में कोई फर्क नहीं आया है। महिलाओं को प्रॉस्टीट्यूट माना जाता था। स्त्री का संग योग्य नहीं कहा जाता है। हमारे धर्म शास्त्र कहते हैं। क्या स्त्री ही खराब होती है या स्त्री के खराब होने में केवल स्त्री की ही जिम्मेदारी होती है? क्या उसमें पुरुष का कोई रोल नहीं होता है? लेकिन यह सब आज भी चलता है। आज धार्मिक मान्यताओं में—चाहे धर्म गुरू हों जो धर्म शास्त्रों का इंटरप्रेटेशन करते हैं—उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं आया है। वेश्यावृत्ति की प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं होती है। इसके अतिरिक्त हमारे यहां कॉल गर्ल्स का भी नया व्यवसाय शुरू हो गया है। पढ़ी-लिखी महिलाएं, अच्छे घराने की महिलाएं, अच्छे कपड़े पहनकर पॉश समाजों में घूमती-फिरती महिलाओं का उपयोग समाज कर रहा है। सर, मैं जानती हूं कि हमारे कॉलेज में पढ़ने वाली युवा लड़कियों, कॉलेज गर्ल्स को सप्लाई करने का भी बिज़िनेस बड़े-बड़े शहरों में चलता है, फाइव स्टार होटलों में यह धंधा चल रहा है। बाद में उसके फोटोग्राफ्स लेकर उनको कंपलसरी कॉल गर्ल्स बनाया जाता है। एक बार उनको फंसाकर ले जाते हैं, उनके फोटोग्राफ्स ले लेते हैं, फिर उनको उनके पेरेंट्स का डर दिखा कर—अगर शादी-शुदा है तो उसके पति या रिश्तेदारों का डर दिखाकर उनको यह धंधा करने के लिए फोर्स कर दिया जाता है। सर, यह तो होता ही है आज घर में भी महिला सुरक्षित नहीं है। विधवा स्त्री को अपने ससुर को या अपने जेठ या देवर को राजी करना पड़ता है। अगर नहीं करती है तो घर से निकाल दी जाती है। यह तो ठीक है लेकिन पिता अपनी बेटी के ऊपर अत्याचार करे, भाई अपनी बहन के ऊपर अत्याचार करे और स्त्रियों की खुले बाजार में बिक्री हो, देश में भी हो और देश के बाहर भी बेचने का व्यापार चल रहा है। इसको रोकने के लिए जो प्रावधान हैं उनका सही प्रकार से इम्पलीमेंटेशन नहीं होता है...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैडम, समाप्त कीजिए।

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप आलरेडी 11 मिनट का समय ले चुकी हैं।अभी सात सदस्य बोलने के लिए बाकी हैं।

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: मैं थोड़े सुझाव देकर के अपना वक्तव्य पूर्ण करना चाहती हूं। जो एक्जिस्टिंग लॉज हमारे हैं महिला के लिए, महिला के प्रति एट्रोसिटीज के लिए उसको सुधारने की बहुत जरुरत है। जहां पर किसी महिला के साथ बलात्कार किया जाए और फोर्सफुली उसको मारने का जहां पर किस्सा हो तो उसके लिए देहान्त दण्ड की कड़ी सजा करनी चाहिए। अगर इससे थोड़ा कम हो तो दस-बीस साल की सजा का प्रावधान करना चाहिए। लेकिन यह जो गुनाह करने वाले हैं उनके लिए दो बातें होनी चाहिएं। इस प्रकार के गुनाह को नॉन बेलेबल बनाया जाना चाहिए क्योंकि वे बाहर निकल कर के महिला और महिला के रिश्तेदारों पर दबाव डालते हैं। दूसरी बात यह है कि अपने आप को निर्दोष साबित करने की जिम्मेदारी पुरुष की होनी चाहिए, गुनाहगारी प्रूफ करने की जबावदेही महिला के ऊपर नहीं होनी चाहिए। तीसरी बात मैं यह कहना चाहूंगी कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि स्त्रियां पुरुषों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, उसके पराधीन है, उनके ऊपर निर्भर हैं। उनके पास अपनी अलग मिल्कियत नहीं है, जिससे कि वह नाराज हो कर घर से बाहर निकलें तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। इसलिए शादी होते ही पति की मिल्कियत में बराबरी का अधिकार महिला को होना चाहिए। जिस दिन शादी हुई उसी दिन से उनकी मिल्कियत की वह भागीदार मानी जाएगी। अगर लड़की शादी नहीं करती है और कुंवारी रहती है तो उसको पिता की मिल्कियत में से अपने भाई के बराबर हिस्सा मिलने का अधिकार होना चाहिए। मैं एक और सुझाव देना चाहती हूं कि सरकार की ओर से जो गरीबी की रेखा के नीचे जीने वाले जो लोग हैं या गरीब लोग हैं जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है या कोआपरेटिव सोसाइटी की ओर से उनको जमीन या मकान मिलता है और जहां-जहां पर सरकार की मदद स्थावर या जंगल किसी भी स्वरूप में मिलती है तो वह स्त्री-पुरुष,

5202/RS

पति-पत्नी दोनों के नाम पर मिलनी चाहिए और उनके ऊपर दोनों को एक समान अधिकार मिलना चाहिए। यदि किसी की रेल एक्सीडेंट में मृत्यु होती है, प्लेन क्रेस में मृत्यु होती है तो मरने वाले के रिलेटिव को एक लाख रुपये या दो लाख रुपये हम कम्पनसेशन या मदद डिक्लियर करते हैं उसी प्रकार से बलात्कार की शिकार होने वाली महिला को कम्पनसेशन मिलना चाहिए। उसे न तो कोई नौकरी पर रखता है और न उसको कोई एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है और ससुराल वाले तो उसको अपने घर में पैर तक नहीं रखने देते हैं। ऐसी हालत में वह कहीं की नहीं रहती है। उसकी पूरी जिन्दगी बर्बाद हो जाती है। वह जिन्दा होते हुए भी मुर्दा है। ऐसी महिला को लाख, दो लाख रुपये की मदद देने का प्रावधान करना चाहिए। मैं मंत्री जी से मांग करती हूं, मंत्री जी यहां पर बैठे हैं वे इसके बारे में कुछ सोचें और उसके जवाब में कुछ डिक्लेयर करें तो हम महिलाओं को बड़ी खुशी होगी। मैं एक बात और कहना चाहती हूं कि महिला की एफआईआर कभी लिखी जाती है और कभी नहीं लिखी जाती है। इसके लिए हरेक पुलिस स्टेशन पर यह सूचना दी जाए, हरेक डिस्ट्रिक्ट सेंटर पर महिला पुलिस स्टेशन भी होने चाहिए और एट्रोसिटीज के केसों को डील करने के लिए अलग से कोर्ट का प्रावधान करना चाहिए।....

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैडम, आपने काफी बोल दिया है।

डा० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: जो एक्जिस्टिंग लॉज हैं उनके ऊपर स्त्री-पुरुष समानता को ध्यान में रखते हुए पुनर्विचार करें। उनमें जो सुधार जरूरी है वह सुधार सरकार को यहां हाउस में लाने चाहिए। हमारी जो वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री है उसके द्वारा पब्लिक आपिनियन की जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए। महिलाओं की आपिनियन जानने की जरुरत नहीं है, इसके बारे में पुरुषों को ही समझाना जरूरी है कि पुरुष प्रधान समाज में स्त्री-पुरुष को समान दर्जा दिया जाए। दोनों एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के पार्टनर हैं यह बात समझाने की ओपिनियन क्रियेट करने के लिए कोई खास प्रोग्राम तय करना चाहिए। सर, लास्ट में मैं कहना चाहती हूं कि यदि महिलाओं को पॉलिटिकली, इमपावरमेंट नहीं दी जाएगी तो कुछ होने वाला नहीं है। इस समाज में जिनकी पावर है, उनकी चलती है। इसलिए हम 33 परसेंट मांग कर रही हैं। यह हम लोक सभा या राज्यसभा में बैठने के लिए नहीं कर रही हैं बल्कि समाज में अपना स्टेटस एस्टेब्लिश करने के लिए मांग कर रही हैं। यह प्रावधान तुरन्त हो यह मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहती हूं।

सर, मैं फिर यह बात दोहराना चाहती हूं कि स्त्रियों के प्रति जो लोगों का व्यवहार है उसमें समानता कभी रही ही नहीं। लेकिन तरह-तरह के जो अत्याचार यहां हो रहे हैं इसके लिए यदि हम कुछ नहीं करेंगे तो महिलाओं के प्रति बहुत बड़ा अन्याय होगा। यदि हम 50 परसेंट महिलाएं, जो इस देश की फिफ्टी परसेंट पॉपुलेशन हैं, ये पीड़ित रहेंगी तो विश्व की सत्ता में भारत कभी नहीं बैठ पाएगा। हम चाहे कुछ भी कर लें, चाहे पोखरण करें या कोई दूसरा रण करें लेकिन अगर हम महिलाओं को पिछड़ा ही रखेंगे तो न तो इस देश का डिफेन्स अच्छा रहेगा, न देश का विकास होगा, न इंडस्ट्री डवलप होगी न ही खेती का कुछ होने वाला है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैडम, प्लीज कन्क्लूड।

डॉ० (श्रीमती) उर्मिला चिमनभाई पटेल: सर, मैं यह कहना चाहती हूं कि हम अगर देश का विकास करना चाहते हैं तो महिलाओं का दर्जा प्रस्थापित करें। इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करती हूं।

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, सुश्री सरोज खापर्डे जी ने इस देश की एक ज्वलन्त, गम्भीर, अत्यन्त घिनौनी और वीभत्स समस्या की ओर इस सदन और सरकार का ध्यान एक विधेयक के माध्यम से आकर्षित किया है। मैं उनकी भावनाओं, विचारों और उनकी वेदना का स्वागत और समर्थन करता हूं। इस विधेयक को ये जिस रूप में पारित कराना चाहती हैं, वह मुझे संभव नहीं लगता है। यहां गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं ये अन्त में अनुरोध करेंगे कुछ आश्वासन भी देंगे और यह विधेयक वापस हो जायेगा। लेकिन जिन समस्याओं को लेकर खापर्डे जी ने यह विधेयक प्रस्तुत किया है। इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। यह जटिल समस्या है साधारण समस्या नहीं है। इस देश का कानून इतना कमजोर हो गया है कि हम समझते हैं कि कानून से भी यह समस्या हल होने वाली नहीं है। क्योंकि जो महिलाओं के साथ अपराध, अत्याचार, बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ अश्लील व्यवहार किए जा रहे हैं, उनके लिए इस देश में कानून है, इंडियन पीनल कोड में है, डावरी एक्ट में है और न जाने कितने कानून उनमें हैं। देश का कानून इसलिए कमजोर हो गया है कि हमारे समाज की मान्यता या हमारे समाज में जो ताकत होनी चाहिए उस कानून को लागू कराने की, उसमें भी कमजोरी आ गई है। हमारी

मातृ शक्ति जो कि पूज्यनीय है, देवी है और लक्ष्मी है इनको सदियों से अबला के रूप में देखा गया है दासी के रूप में भी देखा गया है, इसके लिए समाज दोषी है। इनको घर की चारदीवारी के अंदर बंद रखना के लिए समाज ने सोचा है। इस देश में एक बहुत बड़े राष्ट्र कवि "मैथिलीशरण गुप्त" हुए हैं। उन्होंने कहा है कि "अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में है पानी"।

बहुत सही चित्रण किया है मैथिली शरण गुप्त जी ने। जो गृह लक्ष्मी है, देवी है, पूज्यनीया है, उसके दो ही काम हैं। आंचल में दूध और आंखों में पानी लेकिन आज समाज में विकृति आ गयी है। आज जिन समस्याओं की ओर श्रीमती उर्मिला बेन पटेल और सुश्री खापर्डे और दूसरे लोगों ने इंगित किया है मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता और सदन का समय नहीं लेना चाहता। सब को इसकी जानकारी है। आज समाज का स्वरूप क्या हो गया है? 3 वर्ष की अबोध बालिका के साथ और 90 साल की वृद्धा के साथ बलात्कार हो रहा है। विद्यालय में हो रहा है, कारखानों में हो रहा है, रेलों में हो रहा है, हवाई जहाज में ऐसी हरकतें हो रही हैं, थानों में हो रहा है। मैं इसका एक उदाहरण देना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश में एक विश्वविद्यालय है, जो विख्यात विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, यह एक महीने पहले की घटना है। किसी विषय के प्रैक्टिकल एक्जामिनेशन में जब एक छात्रा गयी तो उसके प्रोफेसर ने, जो उस विभाग का प्रोफेसर था, उसने उस छात्रा के साथ जबर्दस्ती बलात्कार किया। एक महीने पहले की बात है। उस बालिका ने शोर मचाया और वहां के लड़के-लड़कियां वहां भागकर गए और प्रोफेसर की पिटाई की। एफ०आई०आर० हुई और आज भी वह जेल में है। तीन-चार दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा है कि लोअर कोर्ट ने उसकी बेल एप्लीकेशन रिजक्ट कर दी है। आज इस तरह की गंभीर समस्यायें देश में हैं। समस्यायें क्यों हैं? ये समस्यायें इसलिए हैं कि हमारे जो शास्त्र थे, हमारा जो समाज था वह मजबूत था। तब लोगों को सामाजिक भय था, तब समाज के दंड का भय था, कानून का नहीं था। तब ईश्वर, भगवान, धर्म या मजहब का भी भय था। लेकिन अब धर्म का भय खत्म, समाज का भय खत्म। (समय की घंटी) अभी तो मैंने शुरू किया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): पांच मिनट आपका टाइम था। सात मिनट हो चुके है।

श्री ईश दत्त यादव: मैं दो-तीन मिनट और लूंगा। अभी तो मैं स्पीड पकड़ रहा था।

तो धर्म का भय खत्म, समाज का भय खत्म और कानून कमजोर हो गया। मैं कमजोर इसलिए कह रहा हूं कि जब इस तरह की घटनायें होती हैं तो वह बालिका या वह महिला या उसके परिवार के लोग सामाजिक भय के कारण एफ०आई०आर० नहीं कराते। अगर एफ० आई०आर० कराने जाते भी हैं, माननीय गृह मंत्री जी आप बहुत अनुभवी हैं, आपका पचासों सालों का राजनैतिक जीवन है। थाने में जाने के बाद पुलिस कैसे व्यवहार करती है? सौ गालियां देगी, उस महिला को, उस बालिका को कि तुम आवारा हो इसलिए यह हुआ। भगा देते हैं। अगर एफ०आई०आर० हो गई तो केस चलने में सात साल लग जायेंगे, दस साल लग जायेंगे। उसके अगर तीन गवाह हैं तो एक गवाह मर गया होगा और दो गवाह होस्टाइल हो चुके होंगे। सालिटरी स्टेटमैंट रहेगा उस पीड़ित महिला का या पीड़ित बालिका का। इसलिए मैं बार-बार दोहरा रहा हूं कि इस देश का कानून कमजोर हो गया है और उसके कारण इस तरह के अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। इन अपराधों पर नियंत्रण कैसे पाया जाए इस पर गंभीरता से सदन को, समाज को और सदन के बाहर के लोगों को सोचना पड़ेगा। चाहे तन्दूर की घटना हो, जिसका आपने अपने विधेयक में उल्लेख किया है और चाहे अन्य घटनायें हों। यह समाज जो है यह धीरे-धीरे अपराधी प्रवृत्ति का होता जा रहा है और माफ करना सुश्री खापर्डे जी, यहां केवल महिलाओं पर अत्याचार नहीं हो रहे हैं— यह ठीक है कि महिलाओं पर ज्यादा हो रहे हैं लेकिन पुरुषों पर भी अत्याचार हो रहे हैं।

4.00 P.M.

प्रेमी के साथ महिला फ़रार और दूसरे दिन पति की हत्या। यह भी घटनाएं पढ़ने में आ रही हैं। प्रेमी के साथ फ़रार और दूसरे दिन प्रेमी और दोनों ने मिल कर पुरुष की हत्या कर दी। आज यह सामाजिक विकृति है समाज के अन्दर, इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा। यह जरूर है कि समाज ने शुरू से ही महिला को कमज़ोर माना। महिला को कहा कि तुम्हारा पति मर जाए तो तुम को सती होना है और पुरुष को नहीं कहा कि तुम्हारी पत्नी मर जाए तो तुम सती हो जाओ। महिला को सम्पत्ति का अधिकार भी नहीं दिया गया। तमाम अपराध किये गये। राजा राममोहन राय जैसे समाज सुधारक इस देश के अन्दर पैदा हुए जिन्होंने समाज सुधार का काम किया लेकिन आज समाज में विकृति आ गई है इसलिए मान्यवर, आप घंटी न बजावें, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस विधेयक के ज़रिये मैं

5262/RS

समझता हूं कोई समस्या हल नहीं होगी। लेकिन माननीय गृह मंत्री जी से आपके माध्यम से अनुरोध करुंगा कि इस देश के अन्दर जो कानून हैं, उन कानूनों की पुनः समीक्षा होनी चाहिये। ठीक है सुश्री खापर्डे जी कहती हैं, मैं भी सहमत हूं कि अगर बलात्कार जैसा अपराध होता है तो मृत्यु दंड की व्यवस्था होनी चाहिये। मृत्यु दंड की व्यवस्था है लेकिन जब बलात्कार के बाद हत्या होती है तब मृत्यु दंड की व्यवस्था है लेकिन केवल यदि बलात्कार है तो इण्डियन पिनल कोड में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए कि मृत्यु दंड दिया जाए। अश्लील हरकतें की जाती हैं, आऊटरेज दॉ मोडेस्टी आफ वूमेन के लिए दो तीन साल की सजा है। इसको और भी कड़ा बनाना पड़ेगा। अलग से कानून बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि जितने एग्जिस्टंग ला हैं जैसे कि अभी उर्मिला पटेल जी ने सही कहा था कि इतने एग्जिस्टिंग कानून हैं, उनमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, और उन कानूनों का कड़ाई से पालन करना पड़ेगा। आपको आदेश करना पड़ेगा। इस देश के अन्दर जो भी पुलिस अधिकार या जो भी जिम्मेदार अधिकारी इस तरह के अपराधों में लापरवाही करता है, इस विषय में अगर कड़ी कार्यवाही नहीं करता है तो वह दोषी माना जाएगा, उसकी सेवा समाप्त हो सकती है। वह जेल भी जा सकता है। इसको थोड़ा कड़ाई से लागू करना पड़ेगा। तीसरा यह करना पड़ेगा, मेरी राय है, आपको स्पेशल कोर्ट जरूर बनाने पड़ेगे। आप कानून के मर्मज्ञ हैं, आपका लॉ डिपार्टमेंट है, गृह मंत्रालय है लेकिन कानून जो बने हैं इस देश के अन्दर महिलाओं पर अत्याचार के बारे में उन अत्याचारों के बारे में जो अपराध होते हैं जिनका काग्निजेंस लिया जाता है, उनका फैसला तुरंत होना चाहिये, चार-छः महीने के अन्दर फैसला होना चाहिये। यदि चार-चार, छः-छः, दस-दस साल के बाद निर्णय किया जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है, सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं, गवाह मर जाते हैं, मुद्दई जिसके साथ अत्याचार होता है, वह भी शिथिल हो जाता है और अपराध इस तरह से दिन-प्रति-दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। मान्यवर, मैं सुश्री माननीया खापर्डे जी को पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इन समस्याओं को इस सदन में प्रस्तुत कर के विधेयक के माध्यम से इस सदन का, माननीय गृह मंत्री जी का, भारत सरकार का और इस देश के लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। जो चर्चा हो रही है वह देश के अन्दर जाएगी और जो हमारा सामाजिक दायित्व बनता है, आज सामाजिक सुधार लाने के लिए राजा राममोहन राय जैसे लोगों की इस देश में आवश्यकता है क्योंकि हम को लगता है ऐसे अपराध कानूनों के ज़रिये से कंट्रोल होने वाले नहीं हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं, आपने बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती सरोज दूबे (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं सुश्री सरोज खापर्डे जी के प्रस्ताव का स्वागत करते हुए बहुत ज़ोरदारी से समर्थन करती हूं और साथ ही साथ यह भी जोड़ना चाहती हूं कि अगर किसी महिला या बालिका के शरीर को उसकी इच्छा या अनुमति के बिना कोई दरिंदा हाथ लगाता है तो उसे चौराहे पर ला कर सूली पर चढ़ा देना चाहिये और तब तक लटकाए रखना चाहिये तब तक उसके प्राण शरीर से अलग न हो जाएं। मैं इन कठोर शब्दों का इसलिए प्रयोग कर रही हूं कि यह कुकृत्य ऐसा है कि जिसकी कठोर से कठोर सजा होनी चाहिये। आज आप सबके आरोप के बावजूद मैं फिर से यह कहना चाहूंगी, अपने दिल की तमाम नफरत और क्रोध को समेटते हुए कहना चाहूंगी कि महिला के साथ दरिंदगी करने वाले इन्सान के रूप में छिपे भेड़िए को मृत्यु दण्ड दिया जाए —"हैंग टिल डेथ"। इस तरह की कठोर कार्यवाही होने के बाद ही हमारे यहां इस तरह के अपराधों पर शायद कुछ रोक लग सके। मैंने इन कठोर शब्दों का इस्तेमाल इसलिए किया, मैं इतनी कड़ी सजा के प्रावधान की मांग सरोज जी के साथ स्वर मिलाते हुए इसलिए करना चाहती हूं कि मेरी आंखों के सामने उस बालिका का दर्द और उस महिला के अपमान भरे चेहरे की झलक घूम आती है। पहली घटना हरिद्वार के लहबोरी गांव में मिथिलेश 24 साल की एक युवती, एक पत्नी, एक बेटी है। वहां की पंचायत ने एक प्रस्ताव पास कर दिया कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया जाए। फैसले के अनुसार उस 24 साल की लड़की के साथ सारी रात गांव के लोग आकर बलात्कार करते रहे। गांव के अन्य लोग देखते रहे, अड़ोस-पड़ोस के लोग देखते रहे। पीड़ा और अपमान से वह बालिका चिल्लाती रही, तड़पती रही मगर कोई भी उसको बचाने नहीं आया। पंचायत का यह फैसला उल्लंघन करने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। मुझे बड़ी शर्म के साथ कहना पड़ता है कि उन तमाम बलात्कारियों के नामों में पिता का नाम था तो पुत्र का भी नाम था, चाचा का नाम था तो उसके भतीजे का नाम भी था। इस तरह की शर्मनाक, दिल दहलाने वाली, घृणित घटनाएं आज भी समाज में हो रही हैं और वह निर्दोष महिला आज भी शर्म के मारे बाहर निकलने में शर्म और परेशानी का अनुभव करती है जबकि वे दरिंदे जिन्होंने इस तरह का घिनौना कुकृत्य किया आज भी सफेदपोश बने हुए समाज में सिर उठाकर घूम रहे हैं। मैं स्वयं उस गांव में गयी थी।

दूसरी बात याद आती है इलाहाबाद के दोना गांव की एक 45 साल की प्रौढ़ा महिला की। अचानक पारिवारिक दुश्मनी निभाने के लिए उस घूंघट काढ़कर रहने वाली महिला का निर्वस्त्र करके सरेआम बाजार में घुमा दिया गया। अगर उस महिला ने अपने दोनों हाथों से अपनी लज्जा को ढकने की कोशिश की तो उसके हाथों में व अन्य अंगों में सिगरेट छुआ दी गयी ताकि वह सम्पूर्ण रूप से निर्वस्त्र होकर घूमे। तो उन दोनों महिलाओं का दर्द, उनकी आंखों की पीड़ा, उनकी आंखों में अपमान की ज्वाला जब वह मुझे याद आती है तो मुझे लगता है कि इस तरह के लोगों को हंटर से मारते हुए सीधे सूली पर तब तक चढ़ाकर रखना चाहिए जब तक कि उनके शरीर से प्राण न निकल जाएं। एक हत्या होती है इन्सान मर जाता है। बात खत्म हो जाती है फिर कातिल को जो भी सजा मिले। लेकिन जिस महिला के साथ सामूहिक बलात्कार होता है जिसको निर्वस्त्र करके सड़क पर घुमा दिया जाता है वह तिल-तिल करके मरता है। वह जीवित रहते हुए भी केवल लाश के समान जिंदा रहती है। उसके माथे पर एक कलंक की मोहर लग जाती है। वह समाज में उपहास का कारण बन जाता है। जिधर से निकलती है लोग कहते हैं कि देखो इसके साथ बलात्कार हुआ। यह देखो इसको निर्वस्त्र करके घुमाया गया और वह जीतेजी मर जाती है। केवल वही नहीं उसके परिवार के लोगों को भी यह अपमान सहना पड़ता है और वे सिर उठाकर समाज में चलने लायक नहीं रहते। जिस अपराध में कुकृत्य में उसका कोई हाथ नहीं है उसकी पीड़ा उनको जीवन भर झेलनी पड़ती है।

महोदय, जब बच्ची बड़ी होती है तो मां सिखाती है, घर के बड़े लोग सिखाते है कि तुम्हारी यह लज्जा है, तुम्हारी इज्जत है इसको ढक कर रखो और एक सीमा तक लड़कियां अपनी इज्जत को ढक कर रखती हैं। वह इज्जत जिसे हम संभालकर रखते हैं जिसको संभालकर चलते हैं कि कोई हमारे उन अंगों को देख न ले जिनसे इज्जत जुड़ी हुई है। कोई इज्जत से जुड़े उन अंगों को और उनको ढकने वाले कपड़ों को तार-तार कर दे और कोई पाशविक दरिंदा, इन्सान के रूप में भेड़िया उसके शरीर की दुर्गति कर दे, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा अन्याय, इससे बड़ा घिनौना काम और क्या हो सकता है और उसके बाद भी उसके लिए मृत्यु दण्ड की व्यवस्था न हो। मृत्यु दण्ड की सजा ही इनके लिए एक ऐसी सजा है जो उनको इस काम से रोक सकती है।

सुबह चाय के एक कप के साथ समाचार पत्र के पन्ने पलटते ही आप उसमें पढ़ेंगे कि 13 साल की बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार हो गया एक मां ने अपने 2-3 बच्चों के साथ आत्महत्या कर ली क्योंकि उसके सास-ससुर दहेज की मांग कर रहे थे। कहीं पर आता है किसी महिला को निर्वस्त्र करके बाजार में घुमा दिया गया। यह क्या हो रहा है? किस तरह के हमारे कानून बने है जो इन लोगों को समाज में आज भी उच्श्रृंखल होकर घूमने दे रहे हैं? तो महोदय, मेरा कहना यह है कि आज हम 21 वीं सदी की दहलीज पर खड़े हैं। हमने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में तमाम प्रगति की है। लेकिन आज भी अक्सर सौ दो सौ रुपए के लिए हमारी बेटी को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। तो कभी एक स्कूटर के पीछे उसको जल कर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, क्योंकि गरीब बाप अपनी बेटी के ससुराल वालों की मांगी हुई दहेज की रकम नहीं दे पाता है और उस बेटी को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। क्योंकि रातों-रात दहेज लेकर अमीर हो जाने का धंधा जो निरंतर चल रहा है। बहुत कड़ा कानून होने के बाद भी यह कुप्रथा रुक नहीं पा रही है और उसी का नतीजा है, जैसा कि हमारी बहन सरोज जी ने बताया कि तमाम महिलाएं जलाई जाती हैं। जिन बेटियों के हाथ की मेंहदी भी नहीं छूटी होती है और बड़े धूमधाम से लड़के वाले जिसे शादी करके लाते हैं। ढेरों शगुन करते हैं और उसके बाद ही उसको जला कर खाक कर दिया जाता है, उसके अस्तित्व को मिटा दिया जाता है। यह आधुनिक समाज है और सब लोग बहुत विकसित होने का दावा करते हैं, महिलाओं की प्रगति की वकालत करते हैं, महिलाओं की समानता की वकालत करते हैं, लेकिन आज सत्यता और वास्तविकता यह है कि हमारी कीमत आज एक हजार या पांच सौ रुपया से ज्यादा नहीं है। अगर कन्या का पिता हजार रुपये नहीं दे पाए तो उस लड़की को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाता है। महोदय, मै बड़े दुख के साथ यह कहना चाहती हूं कि आज तमाम प्रगति के बावजूद भी हम वहीं पर हैं। एक तरफ तो हमको देवी कह कर पूजा जाता है और दूसरी तरफ हमें चरणों की दासी कह कर बार-बार लज्जित और लांछित किया जाता है। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि "यत्र नार्यस्तु पूज्यंते, रंमते तत्र देवता"। एक तरफ तो हमें देवी के आसन पर बैठा कर, हमें अन्नपूर्णा कह कर, हमें लक्ष्मी कह कर, हमारी पूजा करने का दावा किया जाता है और दूसरी ओर एक अबोध बालिका के साथ दस-दस लोग सामूहिक बलात्कार करते जाते हैं। हमारे साथ तो हमारे साहित्य ने भी कोई न्याय नहीं किया है। एक तरफ यह लिख दिया जाता है कि हमें देवी बना कर

पूजा जाए और दूसरी तरफ महाकवि संत तुलसीदास ने लिखा दियां कि,

"शूद्र गंवार ढोल पशु नारी,
ये सब ताड़न के अधिकारी"

हमें इंसान की श्रेणी से हट कर पशुओं की लाइन में खड़ा कर दिया और पुरुष को ताड़ना का अधिकार दे दिया। अभी हमारे माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने भी लिखा कि,

"हाय अबला तेरी यही कहानी,
आंचल में है दूध, आंखों में है पानी"

हमें कोई एतराज नहीं, हमारे आंचल में दूध हो, मगर हमारी आंखों में पानी तो न हो। हम 21वीं शताब्दी में प्रवेश करने जा रहे है, हमारी आंखों में आत्म निर्भर होने की चमक होनी चाहिए, एक आत्म-विश्वास की चमक होनी चाहिए। ऐसे साहित्य को बदल देना चाहिए जिसमें यह लिखा हुआ है कि हम अबला हैं। साहित्य के उस पन्ने को तार-तार कर देना चाहिए और एक ऐसा साहित्य तैयार करना चाहिए जिसमें हमारी आंखों में आत्म-विश्वास की चमक हो, हमारे मन में एक बड़ी प्रबल इच्छा हो और समाज में बराबरी से आगे बढ़ते रहने की प्रबल इच्छा हो।

महोदय, तमाम कानूनों के बाद भी आज महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कोई कमी नहीं आ रही है। हमारे रिश्तों की कोई कीमत नहीं रह गई है, क्योंकि यह जो। मीडिया के द्वारा हिंसा परोसी जा रही है, नापाक रिश्तों को बढ़ावा दिया जा है, दिन भर हमारे नौजवान, हमारा पुरुष वर्ग जो भी मीडिया के माध्यम से देखता है, अनियंत्रित मीडिया उनकी इच्छाओं को भड़काता है। फिर हम उनसे यह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि वे साधु-संत बन कर रहें? महोदय, हर प्रकार से इंतजाम करना पड़ेगा, इसके लिए जागरूकता भी लानी पड़ेगी। केवल कानून बना देने से अगर यह समाज सुधर रहा होता तो आज तक सुधर गया होता। सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त, 1997 को कई निर्देश जारी किए। लेकिन आज तक कोई सुधार आया? अभी मैं एक आंकड़ा देख रही थी। मैं आंकड़ा बताकर समय नहीं खराब करना चाहूंगी। राजस्थान का एक आंकड़ा मैं पढ़ रही थी कि 12.9 से बढ़ कर 21.6 तक उसका आंकड़ा पहुंच गया। यही हाल उत्तर प्रदेश का है और सभी प्रदेशों में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार बढ़ते चले जा रहे हैं। ये हमारे नाम पर धब्बा है। आज के दिन भी हम सती प्रथा के नाम पर रूपकंवर जैसी नारी को एक सती बना कर उसको महिमा मंडित करना चाहते हैं। महोदय, मैं यह कहना चाहती हूं कि केवल कोर्ट के कानून बना देने से इस तरह के अत्याचार नहीं रुकेंगे। हमें पहले अपने सामाजिक सोच को बदलना पड़ेगा। महिलाओं के बारे में जागृति की बातें हो रही हैं, उनको सत्ता में आरक्षण देने की बातें आ रही हैं। सब लोग आगे बढ़ कर, महिलाओं को मजबूत करेंगे तभी हम इसका मुकाबला कर सकेंगे और हमको मीडिया पर भी ध्यान देना होगा। हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगी कि जब तक आप सरकार में नहीं थे तब तक तो इनकी तरफ से बड़ी आवाज उठा करती थी कि मीडिया पर रोक लगेगा। जो विदेशी संस्कृति मीडिया द्वारा परोसी जा रही है उस पर रोक लगेगी, लेकिन अब महिलाओं की हत्या करने के नए-नए तरीके सीरियल्ज़ में दिखाए जाते हैं। कभी जी हॉरर शो में दिखाए जाते हैं। कभी वह सेटरडे सस्पेंस में महिलाओं की हत्याओं के नये-नये तरीके दिखाए जाते हैं। तो जाने-अनजाने इंसान के दिमाग पर इन सब का असर तो पड़ता ही है और फिर वह भी उसी तरह के कुकृत्य करने लगता है। इसलिए हमें मीडिया को सुधारना पड़ेगा। साथ ही एक बार फिर से पाक रिश्तों को, पवित्र रिश्तों को मान्यता देनी पड़ेगी। मैं यह भी चाहूंगी कि हमें महिलाओं की देखभाल के लिए बने वूमेंस कमीशन को और अधिक अधिकार देने पड़ेंगे, उस को और मदद करनी पड़ेगी ताकि वह आगे बढ़कर उन दरिंदों के लिए खौफ बन कर छा जाए और सताई हुई पीड़ित महिलाओं के लिए सहयोगी संस्था बन जाए। महोदय, मैं स्पेशल कोर्ट्स का भी सुझाव देना चाहूंगी।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): वह तो बोल दिया है।

श्रीमती सरोज दुबे: महोदय, पीड़ित महिलाओं को फ्री लीगल एड दिया जाना चाहिए। मैं केवल दिल्ली की बात नहीं कर रही हूं, गांवों में जिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, उन के लिए निशुल्क कानूनी सलाह/सहायता दी जानी चाहिए ताकि वह अपने ऊपर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ उन दरिंदों को सजा दिलवा सके। महोदय, मैं सरोज जी के इस बिल का समर्थन करते हुए कहना चाहती हूं कि इस संबंध में बहुत जल्दी कड़े कदम उठाए जाएं और अभी तक जो कानून बने हैं, उन की फिर से समीक्षा की जानी चाहिए। इस संबंध में बहुत व्यापक और विषद अध्ययन करने के बाद कहां-कहां क्या लूप-होल है और कहां-कहां कमी है, इन सारी बातों पर नए सिरे से विचार किया जाना

चाहिये। महोदय, जो महिलाओं की इज्जत से खेलता है, महिलाओं के शरीर पर अत्याचार करता है, उस को मौत की सजा मिलनी चाहिए। इसे मैं जोरदार ढंग से रिकमंड करती हूं।

महोदय, एक बात जोकि वास्तविकता से जुड़ी हुई है, वह यह है कि यहां इतने लोग बैठे हैं, अगर इन लोगों में से बिना उस की अनुमति के कोई आपका हाथ भी जोर से पकड़ ले या उसका कपड़ा खींच ले तो वह उसे झापड़ मार देगा, लेकिन आप कल्पना कीजिए उस लड़की की, उस महिला की जिस को बिना पूछे, बिना समय दिये अचानक एक अनजान दरिंदा आकर उस को नोचना शुरू कर देता है? उस की मनःस्थिति की कल्पना करने के बाद इस तरह के अत्याचार की कड़ी सजा का महत्व समझ में आ जाता है। अगर मौत की सजा का प्रावधान हो जाए तो मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में महिलाओं की इज्जत सुरक्षित रह पाएगी। हमारी अबोध छोटी-छोटी बालिकाएं जिन्हें कि एड्स की बीमारी के भय से बेचने का काम किया जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। यह समाज जिस हवस और वासना का शिकारी होता चला जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सरोज जी के बिल का पुरजोर समर्थन करते हुए आशा करती हूं कि इसे दबाया नहीं जाना चाहिए। ये सवाल उठते रहने चाहिए और आगे आने वाले दिनों में इन अपराधों के लिए कठोर-से-कठोर सजा हो ताकि हम महिलाएं समाज में सिर ऊंचा कर के चल सके। हमारी बहन-बेटियों को सड़क पर चलने में कोई दिक्कत न हो। हम सिर उठाकर कह सके कि हम भी समाज में रहने लायक हैं, हम भी हाड़-मांस के बने इंसान हैं और हमें भी इज्जत में रहने का अधिकार है। धन्यवाद उपसभाध्यक्ष जी।

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश): महोदय, मैं आप का बहुत शुक्रगुजार हूं कि आप ने सरोज जी के जानिब में पेश किए गए बिल जिस में महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार के सिलसिले में कैपिटल पनिशमेंट यानी मौत की सजा का मुतालवा किया गया है, इस के संबंध में मुझे बोलने का मौका दिया।

वैसे तो जिन जुर्मों के लिए मौत की सजा है, वह जुर्म आज भी हो रहे हैं। उन में कमी नहीं हुई है, लेकिन सच यह है कि किसी मनुष्य को कतल कर देना जिस की सजा मौत है, उससे कहीं ज्यादा संगीन जुर्म, एक महिला, एक खातून या एक बच्ची की इज्जत ले लेना है। यह उस कत्ल से ज्यादा संगीन जुर्म है। इसलिए यह मुतालवा अपने लिहाज से इंतहाई मुनासिब मुतालवा है। लेकिन आज हम जिस तरक्की पसन्द हिन्दुस्तान में रह रहे हैं तरक्की की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, उस में क्या सिर्फ कानून बना देने से ही काम बनेगा? यह सवाल बार बार हमारे साथियों ने उठाया है। मैं भी उसी तरफ आपको मुतवजह करना चाहता हूं। सच्ची बात यह है कि जब तक चौतरफा इस पर अमल नहीं होगा पूरी तरह से, जो इज्जत मांओं को, बेटियों को मिलनी चाहिए, जो क़दरे हमारी तहजीब की है उन क़दरों का जब तक हम खुद लिहाज नहीं करेंगे, समाज लिहाज नहीं करेगा, सोसायटी लिहाज नहीं करेगी, उस वक्त तक यह नहीं होगा। इसमें हम पुरुषों के साथ हमारी बहनों को भी पूरी शिरकत करनी पड़ेगी, उनको पूरी तरह से समझदारी से काम करना पड़ेगा।

महोदय, अभी बड़ी दिलहिला देने वाली तकरीरें हुई हैं, ऐसी बातें हुई हैं, जिससे दिल दहलता है और ऐसे वाकयात अखबारात में पढ़ते हैं, जिससे अफसोस होता है। अभी हमारी बहन जी ने जो बातें कहीं, इससे पहले सरोज जी ने जो बताया, पटेल जी ने जो कहा, उससे महसूस हुआ कि हम किस तरफ जा रहे हैं। चरित्र निर्माण का कोई सिलसिला, हमारी हिन्दुस्तानी कौम का शुरू होना चाहिए था, वह नहीं हो रहा है, हम देखते हैं स्कूलों में, यूनिवर्सिटीज में, फिल्मों में, सीरियल में, जिस जगह देखिए, लड़कियां, औरतें, महिलाएं हत्या की देवी होती है। उनके जिस्म पर इस तरह के कपड़े होने चाहिए कि कोई ऐसी चीज न हो, जिससे लोगों की नजरें भी खराब होती हो। हमें इस तरह का कोड भी बनाना पड़ेगा कि हम स्कूलों में क्या पहन कर आएं, हम सड़कों पर क्या पहन कर चलें, हम, किस तरह रहें, यह सब उनके लिए हो और इसके साथ ही साथ इस तरह की जो हरकतें करते हैं हमको उन्हें सख्त में सख्त सजा भी देनी पड़ेगी।

महोदय, जो दफाएं यहां कोट की गई है, कंस्टीट्यूशन में सीआर०पी०सी० में बहुत सी दफाएं मौजूद हैं, जिनके तहत सजा दी जाती है, लेकिन क्या हो रहा है? एक खौफ है, उस बच्ची का खौफ, जिसके साथ जबर किया जा रहा है उसको एक खौफ सामाजिक है, कि अब हम कहीं के न रहे, न घर के रहे और न घाट के रहे। यह एक ऐसा खौफ है, जिससे वह ऐसी जगह बहक जाती है, जो हमारे लिए और जलालत का सबब बनता है, परेशानी का सबब बनता है। इस खौफ को कैसे दूर किया जाए? इस पर सोचना होगा। यहां व्यक्तियों का सवाल नहीं है, यहां उस जहनियत का सवाल है, जिस तरफ हमारा इशारा जा रहा है। उस ज़हनियत से लड़ना

है तो हमको चौतरफा लड़ना होगा। कानून है, मगर उस पर पुलिस अमल नहीं करती है।

महोदय, मैं एक शेर से अपनी बात कहना चाहता हूं, इसलिए कि हर जगह, हर स्टेज पर इसका मुकाबला होना है और एक विक्टिम को मुकाबला करना है—

खून चाहा मांगना चाहूं भी तो किससे मांगू।
शहर का शहर है कातिल के तरफदारों में।

सवाल यह है कि खून हुआ, एक जुर्म हुआ, उसका हिसाब किससे मांगू? इसलिए ऐसा महसूस होता है कि हम किसी तरह इन हया की देवियों का, जो बहन के रूप में, मां के रूप में, बीवी के रूप में, पड़ोसी के रूप में हमें दिखाई देती हैं, उनकी हया को बचाएं? उनकी लज्जा को कैसे बचाए? क्या करें कि हम हिन्दुस्तानी कौम की हैसियत से ऊपर उभरें? यूरोप से भी ज्यादा खराब केस यहां हुए हैं। तंदूर केस जैसे आया। क्या-क्या नहीं हुआ? यहां किसी पर इल्जाम की बात नहीं है, पोलिटिकल और पार्टी से ऊपर उठकर बात करनी पड़ेगी और पूरे समाज की बात को सोचना पड़ेगा। जैसे अभी सती का जिक्र आया था। क्या हिस्सेदारी दी हमारे कानून ने? अभी तक हिस्सेदारी नहीं दी गई। तीन चौथाई महिलाएं हमारी आज भी इससे वंचित है। हमें इस वक्त इस मौके पर यह कहना पड़ेगा कि आज भी जो विधवाएं हो जाती हैं, उनकी दुबारा शादी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? यह सवाल है। कानून के तहत से हम कर सकते हैं। क्या हम बाप की जायदाद में बेटी को हक दे रहे हैं? आज तक ऐसा नहीं हो पा रहा। अभी गांव की जायदादें बंट नहीं पा रही हैं। हमारे यहां जो होता था, हम तो अपनी बात कह रहे हैं, जमींदारी उन्मूलन एक्ट से हमारे यहां औरतों की हिस्सेदार की प्रथा को भी साफ कर दिया गया, इस्लामी शरियत में जो हिस्सा दिया जाता था वह भी एकाएक गायब हो गया। अर्बन प्रोपर्टी में रूरल प्रोपर्टी में हिस्सेदारी हो तो शायद इज्जत बच जाए, वह बाप के यहां रह सके, भाई के यहां रह सके और अपनी हिस्सेदारी ले सके ऐसा कुछ सोचना पड़ेगा। सामाजिक कानूनों में, कुछ रिवेन्यू कानूनों में, माल के कानूनों में परिवर्तन करने पड़ेंगे और उन पर पूरी तरह से सोचना पड़ेगा। हमको एक लैवल पर बैठकर अपनी बहनों से सियासी सतह पर बात करनी पड़ेगी और यह सोचना पड़ेगा कि हम कैसे एक अच्छे हिन्दुस्तानी बन सकें, कैसे हम ऐसा चरित्र निर्माण कर सकें जिससे कि इस तरह के वाकयात सामने न आएं।

माननीय, मैं ज्यादा इसमें विस्तार नहीं लूंगा। पहले एक जमाने में सामाजिक बायकाट बहुत हुआ करता था। कोई गलती हो जाती थी बात-बात में तो कह दिया जाता था कि यह यहां नहीं आएगा, इसका हुक्का-पानी बंद कर दो, इसके शादी-ब्याह बंद कर दो, इसका पानी पीना हराम हो जाएगा, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब तो अफसोस यह है, हमारी बहन ने अभी बताया कि पंचायत ने फैसला कर दिया, दर्दनाक हकीकत है। इसलिए पंचायत राज में 33 फीसदी इनका हिस्सा करने का जो फैसला लिया गया है वह इसलिए लिया गया है ताकि पंचायतें भी ऐसी न बन सकें जिस से यह मालूम हो कि सब काम एकतरफा हो रहा है। इस सारे मुतालबे में जो एक स्पेशल कोर्ट की बात कही गई है, उस बारे में मुझे कहना है कि ऐसी स्पेशल कोर्ट की जज भी महिला होनी चाहिए और उसी के द्वारा अगर फैसला होगा तो हो सकता है कि वह बेहतर समझ सके कि वह महिला जिसके साथ जब्र हुआ है, किस कैफियात से गुजर रही है। हम उम्मीद करते हैं कि अब इस तरह की बातें नहीं होंगी, लेकिन मैंने पहले भी कहा है, अब फिर कह रहा हूं कि समाज में अमलन क्या हो रहा है। मैं केवल एक मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं।

मान्यवर, जितने कानून बने हैं, चाहे वह सीआरपीसी हो, चाहे 390 हो, 51 हो या जितने कानून कांस्टीट्यूशन के मौजूद हैं उनमें अमलन हमारे होम मिनिस्टर साहब कर सकते हैं और वह सरकारी तौर पर चाहे कोई तब्दीली लाकर करें, अपने डायरेक्टिव से करें, किसी तरह से भी करें कि जहां महिला की इज्जत लूटी गई हो, चाहे वह कालेज हो, या कोई और जगह हो, उसमें किसी जिम्मेदार आदमी को इसके लिए सजा हो। जब तक किसी जिम्मेदार आदमी को, जो वहां के निगरानी का इंचार्ज है, सज़ा नहीं दी जाएगी तब तक इसमें कुछ नहीं होगा। छोटे लोगों को सजा देने से कुछ नहीं होगा — सिपाही मारा जाता है और एस०पी० बच जाता है, यह पुरानी बात चली आ रही है, इसको बदलने की जरूरत है। अमल जहां रुका है, निज़ाम वहीं बिगड़ा हुआ है, वहां के पुलिस पर्सनल को जरूर प्रताड़ित किया जाए, उनको सज़ा दी जाए और उनके खिलाफ उनके करैक्टर रोल में एंट्री की जाए कि यह इस तरह के काम करते हैं।

मैं पूरी तौर से सरोज जी की तरफ से पेश बिल की हिमायत करता हूं और साथ ही साथ यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी कुम्भ कांफ्रेंस है या और भी जो महिलाओं के मंच हैं वे कुम्भ के लिए, लड़कियों के लिए एक कोड आफ कंडक्ट बनाएं और इसका बहुत ख्याल रखें कि आपकी तरफ से ऐसी कोई चीज न हो, उसी तरह मर्दों की तरफ से भी यह बात हो कि चरित्र

निर्माण पर जोर दिया जाए और चरित्र निर्माण के लिए हमें सामाजिक इंक्लाब लाने की जरूरत पड़ेगी तथा उसके लिए रिवेन्यू माल और दीगर, मल्कियत के कानून में भी तब्दीलियां लानी पड़ेगी ताकि औरत बराबर का हिस्सा हर चहार जानिब से पाए। यदि सियासी इम्पावरमेंट हो गया और रिवेन्यू इम्पावरमेंट नहीं हुआ तो वह भी बेकार हो जाएगा, काम फैलेगा नहीं। इसलिए चौरफा तरक्की की जरूरत है।

मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। शुक्रया।

श्री नागेन्द्र नाथ ओझा (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सरोज खापर्डे जी द्वारा पेश इस बिल का मैं समर्थन करता हूं, इसलिए कि नारियों पर बर्बरतापूर्ण और पाशविक क्रूरता के विरुद्ध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को छोड़कर अन्य कोर्टों को अधिकार न देने की बात इसमें कही गई है जमानत के मामले में और दूसरा है कि ऐसे अपराधों के निपटारे के लिए एक विशेष न्यायालय के गठन की बात की गई है। यह काफी महत्वपूर्ण है। मैं तो चाहूंगा कि स्त्री होने के कारण जितने तरह के अपराध स्त्रियों पर होते हैं, उन सभी को एक अलग कानून बनाकर वैसे अपराधों के निपटारे की व्यवस्था विशेष न्यायालयों के अंदर की जाए तो उससे ज्यादा मदद मिलेगी। महोदय, दूसरा सुझाव मैं यह देना चाहूंगा कि बर्बरतापूर्ण और पाशविक क्रूरता के जो अपराध गिनाए गए हैं, उसमें ऐसे मामले को भी गिनाया जाए जब बलात्कार की शिकार होने पर या दूसरी तरह से अपमानित होने पर महिला आत्महत्या कर लेती है। अगर क्रूरता करके उसकी हत्या नहीं कर दी जाती, वह हत्या की शिकार नहीं होती बल्कि स्वयं आत्महत्या कर लेती है तो इसमें ऐसे अपराध को भी जोड़ देना चाहिए। अपराधी लोग इसीलिए बच जाते हैं। हम देखते हैं कि अक्सर हत्या के मामले को आत्महत्या के मामले में बदलने की कोशिश इन्वैस्टिगेशन के स्तर से लेकर कोर्ट में सुनवाई के स्तर तक की जाती है। इसलिए यदि ऐसी क्रूरता और बर्बरतापूर्ण व्यवहार को कोई महिला बरदाश्त नहीं कर पाती है, आत्महत्या कर लेती है तो उसको भी इसी में गिना जाना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हमारे समाज में ऐसी स्थिति है कि जब किसी महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर होती है जहां लोगों के जुटकर बड़ी संख्या में सुनने और देखने का शौक होना चाहिए, उस समय तो भीड़ कम होती है लेकिन जब किसी बलात्कार के मामले की सुनवाई कोर्ट के अंदर हो रही हो और पीड़ित महिला की गवाही चल रही हो, उस समय कचहरी में भीड़ देखने में आती है। यह मानसिकता हमारे समाज में है। हम चाहे किसी भी मंच पर कितने भी भाषण दे लें लेकिन ऐसे मौके पर जब कि बलात्कार की शिकार महिला के बच्चे कोर्ट में हाजिर होते है, उसके पति कोर्ट में हाजिर होते हैं तो वे नहीं चाहते हैं कि दूसरा कोई भी वहां उपस्थित हो लेकिन कोर्ट में सबसे ज्यादा भीड़ उसी समय होती है। इससे हमारे समाज में क्या मानसिकता है, इसका खुलासा होता है। जब मैं यह बात कह रहा हूं तो मुझे तस्लीमा नसरीन की याद आती है और उनका लेखन मेरे दिमाग में घूमता है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश कई तस्लीमा नसरीन पैदा करे ताकि महिलाओं के अंदर और पुरुषों के अंदर जागृति पैदा हो जाए। इस मामले में हमारे देश ने कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है। हजारों ऐसे अपराध हमारे समाज में हो रहे हैं और अखबारों में रोज हम उनके बारे में पढ़ते हैं लेकिन मैं यह खोजने की कोशिश करता हूं कि ऐसे अपराधों का प्रतिवाद करने में कितने नौजवान या कितने पुरुष मारे गए, जो उस समय वहां मौजूद थे, तो शायद ही कोई ऐसा उदाहरण देखने को मिलता है। मैं यह खोजना चाहता हूं कि कोई भी ऐसी घटना मिले जहां महिला ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का प्रतिवाद किया हो। मुझे यह सुनकर और देखकर खुशी होती है जब एकाध ऐसे उदाहरण मिलते हैं कि महिला ने प्रतिवाद किया, कहीं पति ने 10 डंडे लगाए तो उसने भी प्रतिवाद किया और कहीं-कहीं हत्या भी कर दी लेकिन महिला जब हत्या कर देती है अपने विरुद्ध होने वाले अत्याचार का प्रतिवाद करते हुए, तो उसकी प्रशंसा नहीं होती। यह हमारे समाज की मानसिकता है।

महोदय, हमारे एक सांसद मित्र ने ब्रह्मा जी का नाम लिया कि ब्रह्मा जी ने रचना की। हम अपनी संस्कृति पर बहुत गर्व करते हैं क्योंकि है उसमें बहुत सी चीजें गर्व करने के लिए लेकिन केवल मैथिलीशरण गुप्त ही नहीं है जिन्होंने आंचल में दूध और आंखों में पानी देखा। बहुत के कवि हुए हैं और रचनाकारों की भी कमी नहीं है। "उर्वशी" में बहुत ही मार्मिक ढंग से दिनकर ने औरतों की दशा में सुधार का एक सपना देखा था और ब्रह्मा जी की रचना के बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी अपनी कविता में, उसी का उद्धरण देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

जहां तक ब्रह्मा जी का सवाल है, दिनकर जी कहते हैं—

"कहते हैं, जिसने सिरजा था हमें, प्रकाण्ड पुरुष था, इसीलिए उसने प्रवृत्ति नर में दी स्वत्व हरण की,

और नारियों को विरचा उसने कुछ इस कौशल से,
हम हो जाती हैं कृतार्थ अपने अधिकार गंवाकर।"
यह दिनकर है और उन्होंने जो सपना देखा—
"कितना मधुर स्वप्न, कैसी कल्पना चान्द्र महिमा की,
नारी का स्वर्णिम भविष्य, जाने वह अभी कहां है,
हम तो चली भोग उसको, जो सुख-दुख हमें बदा था,
मिले अधिक उज्जवल, उदार युग आगे की ललना को।"

इसलिए हमारे जो युग पुरुष हुए हैं, हमारे जो उपन्यासकार, नाटककार और कवि जो हुए हैं उन्होंने कल्पना की है और स्वपन भी देखते रहे और आज भी हम स्वपन ही देख रहे हैं और मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई आशा नहीं दिखती। यह आधी शताब्दी और गुजरने तक भी कुछ हो जाए! जब तक महिलाएं खुद खड़ी न हों और वह अपने अधिकार के लिए नहीं लड़े, प्रतिवाद न करे और जो पार्लियामेंट है वह उसकी कानूनी व्यवस्था करके इसको लागू करने की व्यवस्था न करे तब तक कोई आशा की किरण दिखाई नहीं देती है। माननीया सरोज खापर्डे को इस बिल को प्रस्तुत करने के लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं।

श्री संघ प्रिय गौतम (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष महोदय, विषय बड़ा सामयिक है। बड़े विद्वान वक्ताओं ने भाग लिया। लेकिन उनके वक्तव्य सैद्धांतिक, कानूनी और भावनात्मक अधिक रहे। मैं इसका व्यवहारिक पहलू पेश करूंगा। हर कमजोर पर जुल्म-अत्याचार होता है। यह प्रकृति का नियम है। चाहे लिंग से कमजोर हो, चाहे तन से कमजोर हो, चाहे धन से कमजोर हो, चाहे बल से कमजोर हो या सामाजिक मान्यताओं के कारण कमजोर हो, जो कमजोर रहा है उस पर जुल्म-अत्याचार हुआ है। जीव-जन्तु पर, पशु-पक्षी पर, पौधों पर भी। बड़े पौधे ने छोटे पौधे को कभी मोटा नहीं होने दिया, यह प्राकृतिक नियम है। अब मानना यह है कि स्त्री कमजोर है क्या? स्त्री कमजोर है और यह सनातनी कमजोर है। हमारे धर्म ग्रन्थों में लिखा हुआ है, आदरणीय आडवाणी जी बहुत अध्ययन करते हैं, वह मेरे बारे में जानते हैं कि मैं हमेशा अपनी बात को इलेस्ट्रेशन से पेश करता हूं। मैं अध्याय और श्लोक का नम्बर भूल गया हूं और सुरा और आयत का नम्बर भी भूल गया हूं लेकिन बात सही है। उन्होंने तो केवल रामायण की बात कही। गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा कि—हे अर्जुन, मेरे नाम को स्त्री, चांडाल और वैश्या भी ले ले तो वह भी परम गति को प्राप्त हो जाते हैं, तू तो क्षत्रिय है, मेरा नाम ले और युद्ध कर। स्त्री कमजोर मानी गई है। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है कि आदमी को औरत के ऊपर दर्जा हासिल है।

Men are superior to women.

अब यह हमारी धार्मिक मान्यताएं है। स्त्री कमजोर है। फिर हमारी व्यवहारिक मान्यताएं है। बहुत कम यह सुनने को मिला कि बहु पति प्रथा कहीं रही हो लेकिन बहु पत्नी प्रथा सदैव से चली आ रही है। राजा सगर की 10 हजार रानियां थी। राजाओं की कई-कई रानियां यानी आज भी यह प्रथा प्रचलित है। लेकिन बहु पति प्रथा बहुत कम सुनने को मिलती है। तलाक की प्रथा में भी पत्नी को ही ज्यादा तलाक दी गई, चाहे हिन्दुओं में हो। यहां तो कानून से जाना पड़ेगा.....(**व्यवधान**) मगर मुसलमानी में तो जुबानी तलाक हो जाता है।

श्री खान गुफरान जाहिदी: अगर तलाक की बात कह रहे हैं तो पत्नी को भी उतना की अख्तयार है वह अपने आदमी को छोड़ सकती है।....(**व्यवधान**)

श्री संघ प्रिय गौतम: आप सुन लीजिए। और इस्लाम में तो केवल तीन बार कहदो—तलाक, तलाक, तलाक, तो तलाक हो गया।

श्री के०एम० खान: (आन्ध्र प्रदेश): आप गलत बोल रहे हैं कुरान में ऐसा कहीं नहीं है। ....(**व्यवधान**) आप बिल्कुल गलत बोल रहे है। आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लीजिए, ऐसा कुरान में कहीं नहीं है। ....(**व्यवधान**) मैं कुरान की नहीं कह रहा हूं इस्लाम की कह रहा हूं

Mr. Vice-Chairman, Sir, it is wrong. He is giving a distorted version.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): Please don't interrupt. When your turn comes, I will give you a chance.

श्री खान गुफरान जाहिदी: कुरान में कहीं नाम भी नहीं आया है। एक शब्द कहीं धर्म के बारे में नहीं कहा। मेरी समझ में नहीं आता कि इसको बीच में लाने से कौन सा फर्क पड़ने वाला है? ....(**व्यवधान**)....

श्री संघ प्रिय गौतम: मैंने इसके बारे में नहीं कहा, मैंने जो कहा है वह मैं ला कर दिखा दूंगा। मैं कहना चाहता हूं कि स्त्री कमजोर है और इसके अलावा बलात्कार या जुल्म, अत्याचार स्त्री पर ही क्यों होते हैं? स्त्रियां पुरुषों पर क्यों नहीं करतीं? ऐसी कोई मिसाल दे दे। मैं इसके कारण बताना चाहता हूं, ये तो मैंने पुराने कारण बताए या कानून और सपत्ति के अधिकार बताए।

सबसे पहला कारण तो है सिनेमा, टेलीविज़न सीरियल, नाटक....(व्यवधान).... मेरी बात सुनिए "हम आपके है कौन" यह फिल्म सुनते हैं कि इसे ईनाम मिला। उसमें कोई सीन इस तरह का नहीं है जो बलात्कार का हो, हत्या का हो, आगजनी का हो, लूटमार का हो, डकैती का हो। रामायण सीरियल पूरी दुनिया में देखा गया, पाकिस्तान में देखा गया। लोगों ने रेलगाड़ियां बंद कर दीं, दफ्तर में नहीं आए। उसमें कोई चीज़ इस तरह की नहीं थी। तो ये सारे सिनेमा, फिल्में, सीरियल, नाटक ऐसे ही क्यों बनाए जाते है कि उनमें बलात्कार, हत्या, लूट, आगज़नी, डकैती, किडनैपिंग हो? यही कारण है इसके।

दूसरा कारण है शराब। यहां अन्न के नशे में आदमी पागल हो जाता है, शराब के नशे में तो डबल पागल हो जाता है। यह शराब 50 परसेंट अपराधों को जन्म दे रही है। यहां पर बहुत से सांसद भाई 31 दिसम्बर की रात को बारह बजे नया वर्ष भी शराब की बोतल खोल कर ही मनाते है और यहां फर्जी बातें करते हैं सब। यानि कोई असलियत पर, जो जड़ है इसकी, उस पर जाना नहीं चाहता है। तो शराब बंद करो, शराब बंद होनी चाहिए। ऐसे नाटकों पर, ऐसे सीरियलों पर, ऐसे ड्रामों पर रोक लगनी चाहिए। सेंसर बोर्ड इस तरह का बनाया जाए जिसमें धर्म-कर्म वाले लोग हो, संघ प्रिय गौतम जैसे लोग हों। ....(व्यवधान)....

श्री खान गुफरान जाहिदी: उपाय तो बताइए।

श्री संघ प्रिय गौतम: उपाय ही तो बता रहा हूं। ये सारे उपाय ही तो हैं कि शराब बंद करो, उन फिल्मों को अनुमति मत दो, उन नाटकों को अनुमति मत दो, उन सीरियलों को अनुमति मत दो जिनमें बलात्कार, हत्या, लूट, डकैती, शराब होते हैं। अब आप कहते हैं कि बाप बेटी के साथ, भाई बहन के साथ ऐसा क्यों करता है? झुग्गी-झोंपड़ी में एक कमरे में सब टी०वी० देखते हैं और हर टेलीविजन पर चाहे समाचार आएं, समाचार के बाद एक नंगी तसवीर जरूर आएगी बीच में। उसके बाद एक शराब की बोतल जरूर आएगी और बाप भी देख रहा है, बेटी भी देख रही है, भाई भी देख रहा है, बहन भी देख रही है तो इस पर रोक लगनी चाहिए। यह है इलाज, आप कहते हैं कि कानून बनना चाहिए। आपकी नजर में कानून तो बहुत है।

अब पुलिस की बात आई। पुलिस में तीन चीजें होती थीं, वे तीनों खत्म हो गई। नंबर एक अनुशासन, नंबर दो ट्रेनिंग और नंबर तीन नैतिकता। अनुशासन खत्म इसलिए हुआ कि पुलिस कप्तान का अधिकार नेताओं ने ले लिया। वे ट्रांसफर, पोस्टिंग कराने लगे, यह था एक कारण। और ट्रेनिंग उनकी होती नहीं और नैतिकता इसलिए नहीं कि अच्छा काम करने वाले को पब्लिक सपोर्ट नहीं मिलता। उसका ट्रांसफर वे करा देते हैं, इसलिए मारल डाऊन हो गया। तो लिहाज़ा पुलिस के अंदर तीनों चीजें व्याप्त होनी चाहिए।

अब रहा कानून। कानून में दो तरह का सैटिस्फैक्शन होना चाहिए, अदालत का नंबर एक लीगल सैटिस्फैक्शन, नंबर दो, मॉरल सैटिस्फैक्शन। लीगल सैटिस्फैक्शन डिपेंड्ज़ अपॉन ऐविडेंस। अब यह चाहे डॉक्यूमेंटरी हो या ओरल हो, और मॉरल सैटिस्फैक्शन यह कि आदमी संतुष्ट हो जाए कि वाकयी में यह कांड हुआ है। यहां पर सुप्रीम कोर्ट की मिसालें हैं। मोरल सैटिसफैक्शन इस जामाने में बहुत आवश्यक है, मोरल सैटिसफैक्शन होना चाहिये, तब सजा मिलेगी वरना अपराधी को सजा इसलिए नहीं मिल सकती कि गवाह नहीं मिलेगा, और आखिरी बात, अंधाधुंध इनक्रोचमेंट होकर के मंदिर बन रहे हैं, मस्जिद बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, जितने साधु, संत, सन्यासी, महंत, ग्रंथी राजनीति छोड़कर, डनलपपिलो के गद्दों पर सोना छोड़कर एयर कंडीशन गाड़ी में घूमने के बजाय अगर प्रचार में लग जाएं, हिन्दू मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन बौद्ध, सब जाकर जनता में प्रचार करें, जहां दिन बीत जाए वहां रात को रुकें और जो हमारे पुराने भारतवर्ष की मान्यताएं थीं जिसके कारण यह जगत गुरु कहलाए, उन मान्यताओं को फिर से प्रस्थापित कराने में यह हम सहयोग करें तो देश सुधर सकता है। धन्यवाद।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय (पश्चिमी बंगाल) : धन्यवाद महोदय, सबसे पहले मैं सरोज खापर्डे जी द्वारा लाए गये इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करती हूं, एक ही सुझाव के साथ कि यहां महिलाओं के प्रति बर्बर और पाशविक क्रूरताओं को सख्ती से रोकना और पाशविक कृत्यों के लिए मृत्यु के लिए मृत्यु दंड का उपबंध करना होगा। यहां जहां इन्होंने बताया है— केवल जिन महिलाओं की मृत्यु हो जाए, उनके साथ किये गये कुकृत्य को ही बर्बरतापूर्ण न मानकर किसी भी प्रकार के ऐसे कुकृत्य को बर्बरतापूर्ण माना जाए। मैं अपनी बात साहित्य में नारी से शुरू करूंगी क्योंकि मैं साहित्य की अध्यापिका हूं। उसके बाद जिंदगी में आज नारी का जो रूप दिखाई पड़ रहा है, वह इससे कितना अलग है।

वह अच्छा वक्त हुआ करता है पूरी सदी में जब कोई लड़की पैदा होती है।

जो चाबी भी है और किला भी।

अच्छी व्यक्ति हुआ करती है वह स्त्री, जिसके पैदा होने से रंग पैदा होते हैं।

राग पैदा होते हैं, दिशाएं खुलती हैं और संबंध बढ़ जाते हैं।

दिशाएं खुलती हैं और संबंध बढ़ जाते हैं, नदियों के पार पहाड़ छोटे हो जाते हैं।

मौसम प्यारे, रंग जाते हैं घर द्वार।

एक टुकड़ा रोटी और एक टुकड़ा आकाश, दोनों होती हैं।

पूरे परिवार के माथे पर दूब जैसी फबती है लड़की,

जो दबी हुई थी, वह यही दूब कन्या थी।

जो दबी हुई थी, वह यही दूब थी जो कन्या बनकर मेरे घर में आयी है।

लेकिन भारतीय समाज में जब कन्याएं पैदा होती हैं तो अभी भी कुछ परिवारों में लोग आंसू बहाते हैं और जो भ्रूण हत्याएं लड़कियों की की जा रही हैं, उससे स्पष्ट हो रहा है कि समाज में स्त्री की क्या स्थिति है। मेरे पूर्व वक्ताओं ने मानवीय संबंधों के बारे में काफी बातें की हैं। आज ही नहीं, हम बहुत पुराने समय से देख रहे हैं, पूंजीवादी प्रवृत्तियों ने हमेशा से मानवीय संबंधों को कौड़ियों के रूप में बदल रखा है। मनुष्य मात्र जहां पैसा कमाने की मशीन बनता जा रहा है, जाहिर है वह निर्मम भी होगा, शोषण और उत्पीड़न का शिकार भी होगा। इस प्रक्रिया में स्त्रियां भी समान रूप से शामिल कर ली गयी हैं। जब हम पर उपभोक्तावादी संस्कृति हावी होने लगी है तो इस रूप ने विराट शक्ल अख्तियार कर ली है—शोषण ने, अत्याचार ने, बर्बरता ने आजादी के पचासवें वर्ष में प्रवेश करते हुए भारत मे स्त्रियों की हालत कोई खास बेहतर नहीं हुई है। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी की कुछ लड़कियों का इंटरव्यू ले रही थी। एक लड़की से मैंने पूछा कि तुमने देखा होगा—सोशियोलॉजी पर काम कर रही थी—कि महिलाओं की स्थिति में पचास वर्ष बाद कोई बेहतरी आयी है। उसका जवाब था "पहले लड़कियां हाई स्कूल करके दहेज की बलि पर शिकार होती थीं, अब पी०एच०डी० करके होती हैं, कोई खास अंतर नहीं आया है। यही दिखाई पड़ रहा है दहेज के कारण हत्याएं हो रही हैं। अन्य विभिन्न कारणों से हत्याएं हो रही हैं और जो महिलाएं बलात्कार का शिकार होती हैं, प्रायः वह गरीब तबके से आती हैं। अन्य जो शोषण का शिकार होती हैं, उनके बारे में भी हमें बिल लाना चाहिये। बिल आए भी हैं। बहुत सारे नियम और कानून भी बने हैं लेकिन उन पर अमल नहीं हो रहा है। मैं यह आग्रह करना चाहूंगी कि उन कानूनों के बारे में सोचा जाए। इतने सारे आन्दोलन हुए हैं, इतने सारे कानून बने हैं, सारे संवैधानिक प्रावधान हैं इनके बावजूद स्थिति दयनीय ही है। कैसी विडम्बना है कि आये दिन हम दूरदर्शन के परदे पर देखते हैं, ऊंचे सुर में गाया जाता है कि हम भारत की बेटी हैं और इसके साथ भारत की कुछ अनेक विशिष्ट महिलाओं की छाया छविया भी दिखाई जाती हैं। जब चुनाव होते हैं तो हम देखते हैं कि सब ऊंची-ऊंची बाते करते हैं, सभी कहते हैं कि हम महिलाओं को आगे की पंक्ति में लाकर के खड़ा करेंगे, लेकिन जब उन्हें कुछ देने की बात होती है तो बहाना करने लगते हैं, यह रोज हम देख रहे हैं। महिलाओं को 33 परसेंट रिजर्वेशन तो क्या 17 परसेंट भी देने के लिए राजी नहीं हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार देंगे लेकिन दूसरी ओर जब हम आंकड़े देखते हैं, जैसे 1901 में भारत के पुरुष महिला का अनुपात 1000 पुरुषों की तुलना में 972 महिलाएं थीं, 1991 में 1000 पुरुषों की तुलना में जनसंख्या के आंकड़े बताते है कि 927 महिलाएं थीं और 1997 में यह अुनपात घटकर 1000 हजार पुरुषों में केवल 923 महिलाओं का रह गया है। पुरुष और महिलाओं का बिगड़ता अनुपात शायद आधुनिक तकनीक है। गर्भ में ही लड़के और लड़की की जांच कर के लड़की को वहीं समाप्त करने की साजिश हो रही है जिसकी वजह से यह हो रहा है। हम देखते हैं कि जिस तरह से प्रकृति के पर्यावरण बिगड़ने से इकोलोजिकल बेलेंस के बिगड़ने से हम भयंकर परिणाम भुगत रहे हैं उसी तरह से शायद समाज के लिए यह निश्चय ही हानिकारक सिद्ध होगा और इसके भी हमें भयंकर परिणाम भुगताने होंगे।

एक तरफ तो भारतीय संस्कृति महिलाओं को दैवी का दर्जा देती है। मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि महिला को दैवी की संज्ञा इसलिए दी गई है क्योंकि दैवी बेजुबान होती है, दैवी कुछ नहीं बोलती है, उसे अगर आप बताशा चढ़ा दें तो वह उतनी ही खुश हो जाती है।...

एक माननीय सदस्य : ऐसा नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: तकलीफ तो यह है कि दैवियां बोलने लगी हैं। अगर वह दैवियां बोलती नहीं, घर की चारदीवारी में चुपचाप बैठी रहतीं, जो भी उन्हें चढ़ा दिया जाता उसी से वह संतुष्ट हो जाती तो यह भरतीय समाज जो यह मानता रहा है, स्त्रियों से यह आशा करता रहा है—इसके बारे में हमारे बुहत बड़े

लेखक हैं प्रेम चन्द, उन्होंने कहा है कि भारतीय समाज चाहता है कि स्त्री अपनी रीढ़ की हड्डी पुरुष को समर्पित कर दे फिर वह जीवनभर उसको कंधों पर बोझ बनाकर ढोने के लिए तैयार है। ऐसा ही है शायद, उसको अपने पैरों पर खड़े कराना, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर चलने की क्षमता देना और उसे समाज में बराबरी का हक देना, यह पुरुष को स्वीकार नहीं है। इसीलिए घरों में आरम्भ से ही विचित्र प्रकार की संस्कृति देखने को मिलती है। पिता के घर में पुत्री का पालन होता है पराए घर में जाने वाली है, पति के घर में उसे लोग कहते हैं कि पराए घर से आई है और बाद में पुत्र के घर में वह बिल्कुल पराई हो जाती है, लोग इंतजार करते हैं जैसे—पुरानी खाट को घर से बाहर निकाल देना है, उसे कब बाहर निकालना है।

श्री जनेश्वर मिश्रः (उत्तर प्रदेश) ऐसा नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेयः ऐसा ही है। आधुनिकी संस्कृति हो रही है, मैंने जो देखा है वह कह रही हूं। हो सकता है कि आपने जो देखा है वह गलत हो। अगर स्त्री के प्रति पराएपन का भाव नहीं होता तो आप सब लोग उसे अपना मानकर 33 परसेंट रिजर्वेशन देकर, 50 परसेंट रिजर्वेशन देकर के अपनी बगल में खड़ा कर लेते। ...**(व्यवधान)**...

श्री खान गुफरान जाहिदीः मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मालूम है, मालूम है मिस्टर मिनिस्टर।

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): I am sorry, it is my duty....*(Interruptions)*...

श्री खान गुफरान जाहिदीः पांच-पांच मंत्री एक जगह बैठे हैं तो कैसे होगा?

श्री संघ प्रिय गौतमः यह तो अच्छी बात है। यह ऐसा विषय है जिसे मंत्री जी सुनने आए हैं।

कुमारी सरोज खापर्डेः मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहूंगी कि वे मंत्री जी को थोड़ा सा आराम दें, सुनने दें।

श्री खान गुफरान जाहिदीः थोड़ा मौका दें मंत्री जी को ताकि वह सुन सकें।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेयः आए दिन महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। बात दिल्ली के लाजपत नगर इलाके की हो सकती है, जापानी महिला के साथ सामूहिक बलात्कार की या तंदूर कांड की हो सकती है, राजस्थान के महिला छात्रावास की हो सकती है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले की हो सकती है, इलाहाबाद की हो सकती हैं, कहीं की भी कोई भी घटना हो सकती है जिसके साथ वास्तव में अत्याचार हुआ है वह समाज में किस प्रकार से अपने आप को विछिन्न मान रही है, किस तरह से वह सामाजिक अवमानना का अपने आपको शिकार मान रही है और समाज में सिर ऊंचा उठाकर चलने की उसकी हैसियत भी नहीं रह गई है। इसके लिए हम क्या करेंगे इस पर हमें सोचने की जरूरत है। महिलाओं की स्थिति सुदृढ़ हो इसके लिए मैं सोचती हूं कि सबसे पहले उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता है। शिक्षित महिलाओं के साथ और क्षमताशील महिलाओं के साथ इस प्रकार के कुकृत्य करने वालों को अपने आप ही सजाएं मिलेंगी और वह जरूर ऐसी हिम्मत नहीं करेंगी। हमारे देश में 1991 की जनगणना के अनुसार केवल 39 प्रतिशत महिलाएं ही साक्षर हैं। ग्रामीण क्षेत्र में यह आंकड़ा केवल 30 प्रतिशत तक ही पहुंच पाया है और गांव में इस तरह की घटनाएं और ज्यादा हो रही हैं। शिक्षा और आत्मनिर्भरता दोनों को आगे बढ़ाकर हम निस्सन्देह महिलाओं को उनका वह हक दिला सकते हैं जिसके लिए वर्षों से हम उनके लिए लड़ रहे हैं। हम अपनी पुरानी संस्कृति की बात करते हैं और बार-बार यह बताने की चेष्टा करते हैं कि प्राचीन भारत मे महिलाओं के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया जाता था। अभी मैंने बताया कि देवी के रूप में उनको इसलिए पसन्द किया जाता था क्योंकि वे अपना हक मांगने की कभी कोशिश नहीं करती थी। मैं यहां अपने प्राचीन धर्म-ग्रंथों का ही उल्लेख करना चाहूंगी।...**(व्यवधान)**...सर, बृहस्पति धर्मसूत्र हमारा एक धार्मिक ग्रंथ है। उसमें यह बताया गया है कि बलात्कार में किस तरह का स्ट्रगल है, गरीब स्त्री के साथ बलात्कार या कुलीन स्त्री के साथ बलात्कार या ब्राह्मण स्त्री के साथ बलात्कार, बहुत ही वर्ग-भेद इस बृहस्पति धर्मसूत्र में है। इसमें लिखा है कि "यदि शूद्र जाति की स्त्री के साथ बलात्कार किया जाए तो बलात्कार द्वारा अपवित्र स्त्री घर में बन्द करके रखी जाए। उसके शरीर में राख लगा दी जाए। जमीन पर सुलाकर थोड़ा सा जला हुआ खाना दिया जाए। यदि समान जाति के पुरुष से उसका संसर्ग हुआ हो तो वह अपने पाप के प्रायश्चित के लिए कृच्छ और पराकव्रत करे। यदि शूद्र से उसका बलात्कार हुआ हो तो स्त्री को घर से निकालकर वध किया जाना चाहिये"। जिसने बलात्कार किया है उसके लिए सजा का कोई विधान नहीं है और जिसके साथ बलात्कार हुआ है उसे इस प्रकार की सजा भुगतनी चाहिए। दक्ष स्मृति में लिखा है—"जो विधवा स्त्री है, उसे किसी भी रूप में जीवित रहने का

अधिकार नहीं है। यदि यह जीवित रहेगी तो समाज मे उसे कलंकित होना पड़ेगा, अशुचिता भोग करना होगा।

मृते भर्त्रि या नारी समारोहेद्धुताशनम्।
सा भवेतु शुभाचारा स्वर्गलोके महीयते।।

अर्थात् विधवा स्त्री को पति के मरने के बाद अग्नि में प्रवेश कर लेना शुभाचारी होगा। अगर वह जीवित रहेगी तो समाज में उसे कलंकित होना होगा, बुरे पुरुषों की उस पर नजर लगेगी। मैंने विविध धर्म ग्रन्थों को उठाकर देखा। उनमे से मुझे एक धर्मशास्त्री "शातायत धर्म सूत्र" मिला। उसमें लिखा है कि किसी भी प्रकार के बलात्कार के लिए केवल दण्ड ही स्वीकार्य है, कुछ मोहरें, एक सौ मोहरें या एक हजार मोहरें। किस प्रकार की, किस कोटि की, किस गरीब और धनी स्त्री के साथ बलात्कार हुआ है? केवल कुलीन स्त्री के साथ यदि बलात्कार किया गया हो तो उसे प्राण दंड दिया जाए। अर्थात् समाज में केवल कुलीन स्त्रियों को ही जीवित रहने का अधिकार है। उनके साथ अगर कोई बुरा व्यवहार करता है तो बलात्कारी को दंडित करना होगा। किन्तु गरीब या शूद्र जाति की स्त्री के साथ यदि ब्राह्मण बलात्कार करता है तो उसे गौरवान्वित होना चाहिए कि किसी उच्च वर्ग के व्यक्ति द्वारा बलात्कार किया गया है।

श्रीमती वीणा वर्मा: (मध्य प्रदेश) इससे तो धर्म नष्ट होता है।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: इससे धर्म नष्ट नहीं होता है बल्कि वह और महान हो जाती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैडम, प्लीज कन्क्लूड करिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: सर, मैं कन्क्लूड ही कर रही हूं। एक आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि अगर किसी कन्या का अपहरण करके बलात्कार किया जाए तो उसे दंड नहीं दिया जाएगा बल्कि उस व्यक्ति को घोषित कर देना चाहिए कि मैंने राक्षसी विवाह किया है। पचासों की संख्या में राक्षसी विवाह वाली स्त्रियां राजाओं के महलों में निरीह महिलाएं घोर नारकीय जीवन बिताती थीं।

आज हमारे सामने महिला आरक्षण का एक जबर्दस्त मुद्दा हमारी कुलीग्स ने यहां उठाया है कि महिलाओं को सक्षम करके सत्ता में उनकी भागीदारी बढ़ाये। उनके साथ छेड़छाड़ या इस प्रकार का जो भी बुरा व्यवहार किया जाता है बलात्कार किया जाता है, इससे वे बच सकती हैं। हमारे देश के पुरुष वर्ग का यह कहना है कि महिलाएं देश की शोभा हैं। पति को परमेश्वर मानने वाली भारतीय नारी की ही संसार तारीफ करता है। भारत की घरेलु स्त्रियां ही सारी दुनिया का आदर्श हैं। टेलीविजन पर एडवर्टाइज्मेंट आती है अगर पत्नी ने साफ कमीज नहीं धोई है तो इसमें पत्नी का दोष है। पति इंटरव्यू के लिए जा रहा है। वह अपनी कमीज अपनी पत्नी के मुंह पर डंके की चोट से मार देता है, कहता है इस कमीज के कारण किसी ने मेरी और आंख उठाकर भी नहीं देखा। सब तुम्हारा दोष है। तुम अगर कमीज अच्छी धोती तो मैं इंटरव्यू में चुन लिया जाता। दूसरे दिन वह आंसू बहाकर कमीज अच्छी तरह से धोती है, एक साबुन का एडवर्टिजमेंट भी इसके साथ हुआ है। उसी कमीज को पहन कर, जो भी आता है उसके मुंह से हाय निकल जाता है। मीडिया महिलाओं की छवि को सबसे अधिक बिगाड़ रहा है। मैं एक घटना जब मैं छात्रा थी, उस वक्त की कहना चाहती हूं। 1964 में मैं कलकत्ता विश्वविद्यालय की छात्रा थी उस समय एक अंग्रेजी फिल्म आई थी उसमें एक व्यक्ति ब्लेड से महिलाओं के हाथ काट दिया करता था। इस पिक्चर को देखने पर पता नहीं क्या हुआ, इसका असर एक लड़के पर हुआ। वह भीड़ भरी बस में घुस जाया करता था और वह सचमुच ब्लेड चला दिया करता था। बाद में जब वह पकड़ा गया तो उसने स्वीकार किया कि यह उस फिल्म का प्रभाव था। फिल्में नवयुवकों के मस्तिष्क पर बहुत प्रभाव डालती है। ...(व्यवधान)... जो सबसे शक्तिशाली है वे उस का अनुकरण करने लगे हैं। ...(व्यवधान)... बिलेन शक्तिशाली हो तो उसका भी अनुकरण करते हैं। हमारे शत्रुघ्न जी का काफी लोग अनुकरण करते हैं। ...व्यवधान)... काफी युवक उनका अनुकरण करते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैडम, कन्क्लूड कर दीजिए।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: मुझे समय दीजिए मैं अभी कन्क्लूड नहीं कर सकती हूं। ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मैं तो कह रहा हूं कि नेक्स्ट टाइम आप बोल लीजिए। आप नेक्स्ट टाइम बोलेंगी।

श्रीमती चन्द्रकला पांडेय: मैं केवल एक बात कहकर अपनी बात अगले सेशन में आगे बढ़ऊंगी। इस समय मैं यह स्लोगन कहकर समाप्त करती हूं कि "अभी तो ली अंगड़ाई है आगे तेज लड़ाई है"।

श्री खान गुफरान जाहिदी: वाइस चेयरमैन साहब, चेयरमैन साहब ने डाइरेक्शन दिया था कि दिल्ली के मामले में होम मिनिस्टर आकर बयान देंगे। उसका क्या

हुआ? जीरो आवर में यह मामला उठा था। ...(व्यवधान)...

श्री रामदेव भंडारी: चेयरमैन साहब ने निर्देश दिया था बिहार के बारे में ब्यान देने के लिए ...(व्यवधान)..

श्री संघ प्रिय गौतम: वह तो दे दिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसी): वह तो दे गए। ...(व्यवधान)...

SHRI JOHN F. FERNANDES: Sir, the hon. Chairman gave a direction in the morning when we raised the issue of law and order situation in Delhi. There was a reported statement by the hon. Home Minister.

The Chair also gave a direction on the issue raised by Shri Sitaram Kesri regarding the CBI, in the Bihar matter. That was supposed to be clarified by the Minister of Parliamentry Affairs. But, where is the statement of the Home Minister?

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): वह तो आपको बोलूंगा। ...(व्यवधान)...

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैं आपको बताना चाहता हूं .....

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): मेरी बात सुनिए। आप इसके लिए कम्पीटेंट नहीं है। इस बारे में लीडर आफ दि हाउस बोलेंगे। उनको सुनेंगे।

श्री अनन्तराय देवशंकर दवे: मैं क्लेरीफाई कर रहा हूं कि पोजीशन क्या है। ...(व्यवधान)... जो यह बात कह रहे है कि मिनिस्टर को स्टेटमेंट करना है ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सनातन बिसि): आप बैठिए ना, आप बैठिए।

SHRI BANGARU LAXMAN : Sir, if they have a point to raise, then we have a point to make. *(interruption)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI): बैठिये, आपकी बात मैंने सुन ली है।

The question is who is the authority who can tell me. *(interruption)* Please, Gautamji...*(interruption)* लीडर आफ दी पार्टी को बोलना चाहिये। (व्यवधान) हम अब स्पेशल मेंशन ले रहे है।

SHRI JOHN F. FERNANDES: It is on record...*(interruption)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SANATAN BISI) : That I know, I will enquire into it. *(interruption)*. That I am referring to ...*(interruption)*

SPECIAL MENTIONS—(CONTD.)

Attack on Christian Schools and Burning of Bible in Ahmedabad (Gujarat)

SHRI V.P. DURAISAMY (Tamil Nadu): With a heavy heart I want to bring to the notice of this House that the Bajrang Dal Activists along with a hundred I A.B.V.P. men had entered one school. Straightaway they entered the school rooms and started snatching the books and also threatened the students. The activists collected the books from the students and made a bonfire in the school playground. The school Principal told *The Times of India* newsman that the activists terrorised the students and attacked a VI Standard student. After the BJP Government assumed office, all the leaders gave statements in the Press and in every meeting that the minority commumity is safe under their rule. But the news item which appeared yesterday in *The Times of India* is quite contrary. The Constitution of India gives a guarantee to the minorities and all sections of people to follow their faith. They can go to any temple and they can adopt any religion.

Sir, the problem started because inside the Church they were taking bread and wine. Here I want to quote what our Jesus said: "Bread is equal to my body, wine is equal to blood." This is said by our Jesus. Why are the Bajrang Dal and other activists putting obstacles for the minorities? Apart from that , the Bajrang Dal activists are threatening the students; beating the students and terrorising the students. It is endangering the integrity of India because the Constitution gives freedom of religion, freedom of speech and freedom to follow our culture and